

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2016—श्रावण 14, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्र. ई-5-560-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 11 से 15 जुलाई 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, विकअ-सह-आयुक्त, उद्योग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम वस्त्र निगम एवं लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अँटोनी डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. एफ-1 (ए)-42-2009-ब-2-दो.—(1) राज्य शासन द्वारा जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03 जून 2016 को निरस्त करते हुए श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेंज छिन्दवाड़ा को दिनांक 1 से 12 अगस्त 2016 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 31 जुलाई एवं 13, 14 अगस्त 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा रेंज छिन्दवाड़ा का कार्य श्री जी. के. पाठक, भापुसे पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेंज छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. पी. सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा, रेंज छिन्दवाड़ा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. पी. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. पी. सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2016

फा. क्र. 17 (ई) 81-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शिवचरण पाण्डेय, अष्टम् अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ग्वालियर की सेवाएं लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016

फा. क्र. 1(बी)-22-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के समाने दर्शाये अनुसार पद एवं स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये एतद्द्वारा, नियुक्त करता है:—

क्र.	नाम	पद एवं स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्री ओमप्रकाश गुप्ता (जन्मतिथि 25-9-1956).	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला राजगढ़.
2	श्री मनोहर मण्डलोई (जन्मतिथि 25-1-1971)	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)-22-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री गिरीश शर्मा, अधिवक्ता, राजगढ़ को राजगढ़ सत्र खण्ड राजस्व जिले हेतु शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा, पुनर्नियुक्त नियुक्त करता है:—

यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी)-35-2004-इक्कीस-ब(दो).—विभाग के आदेश 24 जून 2014 द्वारा श्री सुभाष जैन, अधिवक्ता को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला रतलाम नियुक्त किया गया था, परन्तु उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के उपरान्त कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण श्री सुभाष जैन की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि न करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है।

फा. क्र. 17(ई)-47-05-इक्कीस-(बी-2) 2007.—विभाग के आदेश दिनांक 20 जून 2008 द्वारा श्री डी. के. जैन, अधिवक्ता को जबलपुर में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, के पद पर तीन वर्ष की समयावधि हेतु नियुक्त किया गया था, परन्तु उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के आधार पर, उनका कार्य आचरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण समयावधि में वृद्धि न करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री डी. के. जैन को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2016

क्र. एफ 11-2-2016-तेईस-योआसां.—राज्य शासन, एतद्वारा, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्यप्रदेश की अधिसूचना क्रमांक 307-3757-99-23-आसां.-दिनांक 2 मई 2000 द्वारा जारी मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप क्रमांक-1 (जन्म रिपोर्ट प्रारूप), प्रारूप क्रमांक-2 (मृत्यु रिपोर्ट प्रारूप), प्रारूप क्रमांक-3 (मृत जन्म रिपोर्ट प्रारूप), प्रारूप क्रमांक-5 (जन्म प्रमाण पत्र) एवं प्रारूप क्रमांक-6 (मृत्यु प्रमाण पत्र) के लिंग के कॉलम में पुरुष/स्त्री के साथ पुरुष/स्त्री/उभयलिंगी (Transgender) जोड़ा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2016

क्र. 935-2297-2015-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की, नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (2) में, यथाविनिर्दिष्ट धाराओं के उपबंध, उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन

रहते हुए, कॉलम (1) में यथाविनिर्दिष्ट श्रेणी की स्थापना को लागू नहीं होंगे, अर्थात्:—

अनुसूची

स्थापना की श्रेणी (1)	धारा (2)	निबंधन तथा शर्तें (3)
टाटा कम्प्यूनिक्शन पेमेन्ट सोल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा स्थापित मानव रहित ए.टी.एम. (ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स).	धारा 9 तथा धारा 13.	स्थापना में कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2016

क्र. 935-2297-15-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 935-2297-15-ए-सोलह, दिनांक 2 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 2nd July 2016

No. 935-2297-2015-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act, 1958 (No. 25 of 1958) the State Government, hereby, directs that the provisions of Sections of the Act as specified in column (2) of the Schedule given below shall not apply to the category of establishment as specified in column (1) subject to the terms and conditions as specified in column (3) thereof, namely:—

SCHEDULE

Class of establishment (1)	Section (2)	Terms & conditions (3)
Unmanned A.T.M. (Automatic Teller Machines) set up by Tata Communication Payment Solutions Limited.	Section 9 and Section 13	No employee shall be employed in the establishment.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. R. NAIDU, Principal Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2016

शुद्धि-पत्र

2016 साधारण राजपत्र में प्रकाशित कराये जाने हेतु लिखा गया था। विभागीय हिन्दी की सूचना में त्रुटिवश दिनांक 13 जून 2016 के स्थान पर 13 जून 2015 अंकित हो गया है। कृपया उक्त सूचना में 13 जून 2015 के स्थान 13 जून 2016 पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

क्र. एफ-3-47-2016-अठारह-5.—नगरीय विकास एवं आवास
की सूचना क्रमांक एफ-3-47-2016-अठारह-5, दिनांक 13 जून

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 जून 2016

रा. प्र. क्र.-09-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत कुसमेली-कबाडिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में कुसमेली-कबाडिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम कुसमेली, प. ह. नं.-10, ब. न.-69, रा. नि. मं.- छिन्दवाड़ा 2, तहसील छिन्दवाड़ा.	1. लीला पति रामचन्द्र गोंड निवासी ग्राम-भूमिस्वामी. 2. रत्नेश जैन पिता सुखमल जैन निवासी-छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी. 3. रीता पति राजीव धई निवासी-छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी. 4. चन्द्रपाल पिता रामसिंह रघुवंशी निवासी-ग्राम भूमिस्वामी. 5. नरेश सिंह पिता बेनीसिंह सरस्वती पिता बेनीसिंह दुलियाबाई विधवा बेनीसिंह रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	24 25/43 44 46/1-2 135/2	0.008 0.064 0.072 0.048 0.048	कुसमेली कबाडिया मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	गोविन्द , रोशन, रंजित,	138/1	0.008	जीत सिंह पिता गोकल सिंग रम्मी वि. गोकलसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.		
7.	गोविन्द पिता गोकल सिंग	138/5	0.016	जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.		
8.	रोशन पिता गोकल सिंग	138/2	0.006	रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.		
9.	जीत सिंह पिता गोकल सिंह	138/3	0.010	निवासी ग्राम भूमिस्वामी.		
10.	रणजीत सिंह पिता गोकल	138/4	0.016	सिंह निवासी ग्राम भूमिस्वामी.		
11.	अनिल, रजनीश पिता	172/1	0.012	उमेदसिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.		
12.	सरोज उर्फ जया पति	172/2	0.008	राजीवनयन अग्रवाल निवासी-छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.		
13.	मिन्तल पिता जयन्त	173/2	0.008	सिरपुरकर निवासी- छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.		
14.	गोविन्दलाल पिता	173/5	0.008	मोतीलाल निवासी- छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी.		
15.	बाबूलाल पिता जानकी	173/1	0.010	लाल निवासी-ग्राम भूमिस्वामी.		
16.	सतीश पिता रघुनाथ	173/3	0.008	सिरपुरकर निवासी- छिन्दवाड़ा भूमिस्वामी		

कुल योग . . . 0.350

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 जुलाई 2016

रा. प्र. क्र.-05-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत **रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग** में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु **मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में **रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग** में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-रझाड़ी पीपला, प. ह. नं.-25/12 ब. न.-337, रा. नि. मं.-सौंसर.	1. उपासराव पिता रामाजी पवार निवासी ग्राम-भूमिस्वामी. 2. पारबती पति चैतराम पवार निवासी ग्राम-भूमिस्वामी.	215/1 215/2	0.220 0.045	रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.265	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र.-06-अ-82-2015-2016-भू-अर्जन-2016.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत **रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग** में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु **मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग** के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में **रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग** में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-कोढ़रदवामी प. ह. नं.-25/12 ब. न.-54, रा. नि. मं.-सौंसर.	1. जगत पिता सितु गोंड निवासी-रझाड़ी पीपला भूमिस्वामी.	59 60	0.090 0.096	रझाड़ी पीपला कोढ़र मार्ग में जाम नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. नारायण पिता चिंधबा पवार निवासी-रझाडी पिपला भूमिस्वामी.	65	0.072	
			3. नारायण पिता चिंधबा विजय, प्रकाश, सुरेखा पिता नारायण पवार निवासी-रझाडी पिपला भूमिस्वामी.	64/1	0.077	
				कुल योग . .	<u>0.335</u>	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित परिसम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अधिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 4 जुलाई 2016

प्रारंभिक अधिसूचना

प्र. क्र. 7841-ए-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग मार्ग क्र. 31) निर्माण के अन्तर्गत ग्राम सिरसोदिया, तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम:—सिरसोदिया

तहसील—धरमपुरी जिला धार

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31)के निर्माण में प्रभावित होने से	1.400	0.020	1.420
योग . .		1.400	0.020	1.420

अनुसूची (2)

नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) निर्माण के अन्तर्गत ग्राम सिरसोदिया की प्रभावित भूमि का विवरण

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)			
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	भग्गीबाई वि. भूरजी, नान्या मड्या, कन्या, नरसिंह, मंगुरिया पिता भूरजी जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	3	0.291	0.00	0.291	0.023	0.00	0.023	
		5	0.152	0.00	0.152	0.050	0.00	0.050	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	रामकुंवर बाई वि. हिरजी बंशी, भारत, नराण तारू, सोहन पिता हिरजी जाति भील.	7	1.101	0.00	1.101	0.020	0.00	0.020	
3	दिलीप, सुरेश, जितेन्द्र पिता हरेसिंह पार्वती बाई पति स्व. हरेसिंह मैना बाई पति स्व. इन्दरसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम.	11	0.354	0.00	0.354	0.230	0.00	0.230	
4	देवा पिता हगरीया संतोष बाबु लक्ष्मण पिता नेबा कमलाबाई पति स्व. नेबा जाति भील पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.	23	1.214	0.00	1.214	0.185	0.00	0.185	
5	देवीसिंह पिता मकुन्दसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	25	0.379	0.00	0.379	0.095	0.00	0.095	
6	सुभाष पिता इन्दरसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	29	0.379	0.00	0.379	0.240	0.00	0.240	
7	नंदु बाई पति स्व. नत्थु, झल्लु बाई पति स्व. श्यामलाल, सोनुबाई पिता श्यामलाल छोटीबाई पति स्व. मंगु, दिपक, भय्यु, खुशबुबाई, बापुबाई, पिता मंगु पुना, सरिता ना.बा. पिता मंगु अ.पा.कर्ता माता छोटीबाई जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	47 49 50	0.974 0.164 0.164	0.00 0.00 0.00	0.974 0.164 0.164	0.025 0.164 0.090	0.00 0.00 0.00	0.025 0.164 0.090	
8	पूजा पिता नन्दीया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	52	0.418	0.00	0.418	0.040	0.00	0.040	
9	गोपाल पिता किशोर सकरी बाई पति स्व. किशोर जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी.	54	0.379	0.00	0.379	0.025	0.00	0.025	
10	लक्ष्मणसिंह पिता किशोरसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम चकटयाबड.	55 56 59 60 61	0.157 0.157 0.051 0.569 0.114	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.157 0.157 0.051 0.569 0.114	0.015 0.015 0.020 0.025 0.045	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.015 0.015 0.020 0.025 0.045	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	नयनसिंह पिता किशोरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम भूमिस्वामी.	57	0.227	0.00	0.227	0.015	0.00	0.015	
12	बाबु पिता किशोरसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	63	0.445	0.00	0.445	0.070	0.00	0.070	
13	फत्या पिता सड़िया जाति भील नि. ग्राम भूमिस्वामी.	68	0.215	0.00	0.215	0.008	0.00	0.008	
14	राजु पिता तोल्या मुकेश पिता सूक्या जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.	100	0.000	0.020	0.020	0.000	0.020	0.020	
योग . .			7.904	0.020	7.904	1.400	0.020	1.420	

प्र. क्र. 7843-ए-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जहांगीरपुरा, तहसील धरमपुरी जिला धार के लिए प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम:—जहांगीरपुरा

तहसील—धरमपुरी जिला धार

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण में प्रभावित होने से	0.513	0.022	0.535
योग . .		0.513	0.022	0.535

अनुसूची (2)

नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जहांगीरपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)			
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	रामपाल अम्बाराम भील नि. ग्राम.	79/1	0.530	0.00	0.530	0.020	0.000	0.020	
2	ताकडिया पिता छागरिया भील नि. ग्राम.	79/2	0.440	0.00	0.440	0.020	0.000	0.020	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	राजाराम पिता हागरिया जाति भील पता निवासी ग्राम.	79/3	0.421	0.00	0.421	0.020	0.000	0.020	
4	शिवभानोसिंह, राजु, करण, चरण, कांताबाई, संगीताबाई, बेनाबाई, पिता मोतेसिंह कलाबाई पति स्व. मोते सिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	81/3	1.531	0.00	1.531	0.080	0.000	0.080	
5	अमीत बगैरा पिता भारतसिंह फुलबाई पति स्व. भारत सिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	125 126/1/1	0.063 0.132	0.00 0.00	0.063 0.0132	0.015 0.020	0.000 0.000	0.015 0.020	
6	भुपेन्द्र सिंह बगैरा पिता सज्जनसिंह जाति भीलाला.	126/1/2	0.132	0.00	0.132	0.020	0.000	0.020	
7	जमनाबाई पति स्व. मांगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	120/1	0.109	0.00	0.109	0.010	0.000	0.010	
8	फुलसिंह पिता मांगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	120/2	0.450	0.00	0.450	0.010	0.000	0.010	
9	बलराम पिता मांगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	120/3	0.450	0.00	0.450	0.010	0.000	0.010	
10	दशरथ पिता मांगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	120/4	0.450	0.00	0.450	0.010	0.000	0.010	
11	गुलाबसिंह पिता मांगल्या जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	120/5	0.450	0.00	0.450	0.010	0.000	0.010	
12	सुखदेव, गंजानंद, ताराचंद पुष्पा पिता गबरू व कमलाबाई पति स्व. गबरू भूपेन्द्र, धनश्याम पिता भागीरथ भुवानीबाई पति स्व. भागीरथ दयाराम, कैशरबाई, सलिता गौरा पिता कन्हैया शिवकुवर पति स्व. कन्हैया, कलिया, दलिया, भित्या, मनोज राधाबाई, पिता रघुनाथ शलिताबाई पति स्व. कालू गंगाराम पिता कालू जगदीश भेरूसिंह कुसुमबाई, लक्ष्मीबाई, पिता कन्हैया, बाबु पिता शंकर जाति बलाई नि. ग्राम.	93	0.142	0.022	0.164	0.013	0.022	0.035	(1) सुखदेव-गबरू मकान-1. (2) भुवानी बाई -भागीरथ मकान-1. (3) बाबु-शंकर मकान-1. (4) गजानंद-गबरू मकान-1. (5) मंगती-कन्हैया मकान-1. (6) दयाराम-कन्हैया मकान-1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	गजराज सिंह बाबुसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	190/1	0.090	0.00	0.090	0.010	0.000	0.010	
14	गुलाबसिंह पिता रूखडू जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	108	1.808	0.00	1.808	0.155	0.000	0.155	
15	मांगीलाल पिता रूपसिंह जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	103/2	0.950	0.00	0.950	0.045	0.000	0.045	
16	राजाराम पिता रामसिंह जयपाल पिता राजाराम जाति भीलाला पता निवासी ग्राम.	103/1	0.950	0.00	0.950	0.045	0.000	0.045	
योग . .			9.098	0.022	9.120	0.513	0.022	0.535	

प्र. क्र. 7845-ए-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भाण्डाखो, तहसील धरमपुरी जिला धार के लिए प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम:—भाण्डाखो

तहसील—धरमपुरी जिला धार

स. क्र. (1)	विवरण (2)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित (3)	असिंचित (4)	कुल (5)
1	नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण में प्रभावित होने से	0.335	0.000	0.335
योग . .		0.335	0.000	0.335

अनुसूची (2)

नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम भाण्डाखो की प्रभावित भूमि का विवरण

स. क्र. (1)	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित (4)	असिंचित (5)	कुल (6)	सिंचित (7)	असिंचित (8)	कुल (9)
1	किशन, भिमला, काल्या, बट्टी अनार, लच्छी, पिता दुबल्या कालीबाई पति स्व. दुबल्या जाति भील पता नि. ग्राम.	77/1	0.455	0.00	0.455	0.050	0.00	0.050
2	रमेश, कैलाश, नानूराम पिता मानसिंह दिपेशख दिक्षीका पिता बालाराम, ना.बा.पा. कर्ता माता तुलसीबाई पति स्व. बालाराम जाति भील पता नि. ग्राम.	78/2	0.228	0.00	0.228	0.045	0.00	0.045

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	प्रकाश, सुरेशचन्द्र, विजय, प्रमिलाबाई, निर्मलाबाई, लीलाबाई, सावत्रीबाई, पिता वर्धमानसिंह कमलाबाई पति स्व. वर्धमानसिंह जाति भील पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार.	81	0.316	0.00	0.316	0.090	0.00	0.090
4	दशरथ पिता पुनमसिंह जाति भीलाला पता नि. जहांगीरपुरा.	83/1	0.409	0.00	0.409	0.060	0.00	0.060
5	उमरावसिंह पिता पुनमसिंह जाति भीलाला पता. नि. जहांगीरपुरा.	83/2	0.409	0.00	0.409	0.050	0.00	0.050
6	घनसिंह पिता पुनमसिंह जाति भीलाला पता नि. जहांगीरपुरा.	83/3	0.409	0.00	0.409	0.040	0.00	0.040
योग . .			2.226	0.00	2.226	0.335	0.000	0.335

प्र. क्र. 7847-ए-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम **सिमराली**, तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची (1)

ग्राम:—सिमराली

तहसील—धरमपुरी जिला धार

स. क्र. (1)	विवरण (2)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित (3)	असिंचित (4)	कुल (5)
1	नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग मार्ग क्र. 31) के निर्माण में प्रभावित होने से	0.742	0.000	0.742
योग . .		0.742	0.000	0.742

अनुसूची (2)

नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम सिमराली की प्रभावित भूमि का विवरण

स. क्र. (1)	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित (4)	असिंचित (5)	कुल (6)	सिंचित (7)	असिंचित (8)	कुल (9)
1	मांगल्या पिता नत्थू जाति भील पता नि. ग्राम.	239	1.075	0.00	1.075	0.053	0.00	0.053
2	पेमा पिता मांगल्या, करणसिंह पिता पेमा जाति भील पता निवासी ग्राम.	231	0.291	0.00	0.291	0.122	0.00	0.122

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	मांगल्या पिता नत्थू, राधु किशन पिता कामलिया, राजलबाई पति स्व. कामलिया, गुरुचरण, सपना, संगीता ना. बा. पिता भूरा पा. कर्ता माता प्रमिलाबाई स्व. भूरा मोना पिता सोभान, लिम्बा, अमरसिंह, राजाराम, बहादुर, पिता झामरिया, सरोताबाई, इनुबाई, गंगाबाई, जमनाबाई पिता झामरिया, गजराबाई पति स्व. झामरिया जाति भील निवासी ग्राम.	227	1.328	0.00	1.328	0.050	0.00	0.050
4	सूरज्या पिता मांगल्या जाति भील पता नि. ग्राम.	219	0.860	0.00	0.860	0.060	0.00	0.060
5	घोरा, लक्ष्मण, जामसिंह पिता ऊकार, रमेश धर्मेन्द्र बेवीबाई पिता रामसिंह, लीलाबाई बा रामसिंह जाति भील पता नि. ग्राम.	218/2	0.980	0.00	0.980	0.030	0.00	0.030
6	बंडू जगन राजमल पिता केस्या लक्ष्मीबाई लीला अवन्ती पिता केस्या जमनाबाई पति स्व. केस्या जाति भील पता नि. ग्राम.	218/1	0.980	0.00	0.980	0.015	0.00	0.015
7	चन्द्रर पिता शम्भू जाति भील पता नि. ग्राम.	216	0.316	0.00	0.316	0.015	0.00	0.015
8	गेंदालाल पिता बाबू जाति भील.	217/1/2/1	0.316	0.00	0.316	0.060	0.00	0.060
9	रमेश, छीतू पिता धारिया जाति भील पता नि. ग्राम.	213/1	0.171	0.00	0.171	0.030	0.00	0.030
10	घोसालाल, पन्नालाल पिता हागरिया, कुतरिया, कालू जाति भील पता नि. ग्राम.	211/1	0.396	0.00	0.396	0.030	0.00	0.030
11	मांगीबाई पति. स्व. राम्या शान्ता बाई पिता राम्या जाति भील पता नि. ग्राम.	209/1/2	0.300	0.00	0.300	0.060	0.00	0.060
12	सुक्का, नरसिंग पिता पुन्या, पुनी वि. पुन्या जाति भील पता नि. ग्राम.	209/1/4	0.299	0.00	0.299	0.055	0.00	0.055
13	सुक्का, नरसिंग पिता पुन्या, पुनी वि. पुन्या जाति भील पता नि. ग्राम.	209/1/1	0.303	0.00	0.303	0.030	0.00	0.030
14	हरि, कन्या, किशन पिता थावरिया, कोयलबाई पति स्व. थावरिया जाति फील पता नि.	101/1	0.179	0.00	0.179	0.020	0.00	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	केशरिया, किशोर, रतन, मुकुटसिंह, जसुबाई, भागुबाई पिता काना जाति भील पता निवासी ग्राम.	101/2	0.122	0.00	0.122	0.030	0.00	0.030
16	भुरक्या, जगन पिता हरसिंह भील नि. ग्राम.	101/3	0.483	0.00	0.483	0.082	0.00	0.082
योग . .			8.399	0.00	8.399	0.742	0.000	0.742

प्र. क्र. 7849-ए-2015-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम फरसपुरा, तहसील धरमपुरी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—
अनुसूची (1)

ग्राम:—फरसपुरा

तहसील—धरमपुरी जिला धार

स. क्र. (1)	विवरण (2)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित (3)	असिंचित (4)	कुल (5)
1	नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण में प्रभावित होने से	0.620	0.000	0.620
योग . .		0.620	0.000	0.620

अनुसूची (2)

नागदा-धार-गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम फरसपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण

स. क्र. (1)	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित (4)	असिंचित (5)	कुल (6)	सिंचित (7)	असिंचित (8)	कुल (9)
1	मोतीराम पिता मिश्रीया जाति भील पता नि. ग्राम.	2/1 3/1	0.354 0.809	0.00 0.00	0.354 0.809	0.090 0.065	0.00 0.000	0.090 0.065
2	फुलसिंह, गज्जू, झामरा, हुकुम, नानुराम पिता गोवर्धन जाति भील निवासी ग्राम.	9/1	0.266	0.00	0.266	0.075	0.000	0.075
3	रमेश पिता प्यार सिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम.	44/1	1.498	0.00	1.498	0.040	0.000	0.040
4	गल्या गंगाराम गौकुल किशोर पिता रणजीतसिंह मैनाबाई पति स्व. रणजीतसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम.	58/1	1.843	0.00	1.843	0.310	0.000	0.310
5	धनसिंह पिता शम्भू जाति भील पता नि. ग्राम.	9/2	0.506	0.00	0.506	0.040	0.000	0.040
योग . .			5.276	0.00	5.276	0.620	0.000	0.620

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्र. 450-भू-अर्जन-2016.—महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. लिमि., खरगोन के द्वारा उनके पत्र क्र. 6805-भू-अर्जन-2016, दिनांक 8 जुलाई 2016 के द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा, डालची में स्थापित की जा रही (2×660) मेगावाट की वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिए प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु तहसील सनावद के ग्राम भातुड की निजी भूमि क्षेत्रफल 0.178 हे. के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के तहत भू-अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय-2 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पूर्व में इसी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट दी जा चुकी है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9-2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निर्मांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ:—

क्रमांक	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खरगोन	सनावद	09	भातुड	0.178	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेल पथ के निर्माण हेतु.

नोट.—उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 455-भू-अर्जन-2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से, अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है इस कारण से धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची (1)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे.)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद	भातुड	0.178	महाप्रबंधक एनटीपीसी खरगोन.	खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिए रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची (2)

रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-भातुड की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे.)
(1)	(2)
7/2	0.178

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी) जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 16 जुलाई 2016

क्र. मंडी-निर्वा.-16-17-875.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 धारा 13(5) के प्रावधान अनुसार कृषि उपज मंडी समिति, सनावद के रिक्त अध्यक्ष पद की पूर्ति हेतु निर्वाचन नियम 84 के तहत दिनांक 27 जून 2016 को मंडी समिति सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, सनावद के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

अ. क्र.	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती लक्ष्मीबाई शिवजी सोलंकी	अध्यक्ष	ग्राम अतरसुम्बा टप्पा-सनावद जिला खरगोन

अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला मंदसौर मध्यप्रदेश

मंदसौर, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. ब.श्र.-2016-920.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 (2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, मंदसौर बंधक श्रमिक जिला सतर्कता समिति एवं उपखण्डों के लिए बंधक श्रमिक उपखण्ड सतर्कता समितियां निम्नानुसार गठित करता हूँ:—

जिला सतर्कता समिति, मंदसौर

1. धारा 13 (2) ए-जिला मजिस्ट्रेट— अध्यक्ष
2. धारा 13(2) बी-अजा/अजजा/के सदस्य :—
 1. श्री अशोक निनामा, अजरोटी ग्राम नांदवेल सदस्य
 2. श्री आनंद तंवर, 24 तिलक नगर, मंदसौर सदस्य
 3. श्री रमेशचन्द्र अहिरवार, नई आबादी, गुजरदा सदस्य

3. धारा 13 (2) सी-जिले के सामाजिक कार्यकर्ता:—
1. श्री प्रवीण जैन, भागगढ़ सदस्य
 2. श्री शंकरलाल पाटीदार, पूर्व सरपंच, जवासिया सदस्य
 3. श्रीमती सचिता नितीन शिन्दे, गणपति चौक, मंदसौर सदस्य
4. धारा 13(2) डी-ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य:—
1. पुलिस अधीक्षक, जिला मंदसौर सदस्य
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर सदस्य
 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंदसौर सदस्य
5. धारा 13(2) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य:—
जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, मंदसौर.

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, मंदसौर

1. धारा 13 (3) ए-उपखण्ड मजिस्ट्रेट मंदसौर अध्यक्ष
2. धारा 13 (3) बी-अजा/अजजा/के सदस्य :—
 1. श्री भेरूलाल पिता कचरू भील, नि. धुन्धडका सदस्य
 2. श्री काशीराम मेघवाल, नि. खिलचीपुरा सदस्य
 3. श्री मांगीलाल पिता लक्ष्मण चमार, नि. धुंधडका सदस्य
3. धारा 13 (3) सी-सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य:—
 1. श्री जगदीप पिता रंगलाल, नि. ढिकोला सदस्य
 2. श्री सुरेचंद्र पिता चम्पालाल पाटीदार, नि. रीछालालमुहा सदस्य
 3. श्रीमती उमा गुप्ता पति लाल बहादुर नि. मंदसौर सदस्य
4. धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य:—
 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला जनपद पंचायत, मंदसौर सदस्य
 2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंदसौर सदस्य
 3. सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मंदसौर सदस्य
5. धारा 13(3) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य:—
प्रबंधक, जिला केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर सदस्य
6. धारा 13(3) एफ-धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मंदसौर.

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, गरोठ

1. धारा 13 (3) ए-उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गरोठ अध्यक्ष
2. धारा 13 (3)बी-अजा/अजजा के तीन सदस्य :—
 1. श्री नरवरसिंह सोनगरा, निवासी चचावदा पठारी सदस्य
 2. श्री नंदकिशोर बुन्दीवाल, निवासी बरखेड़ा लोया सदस्य
 3. श्री उदयराम मेहर, निवासी भानपुरा सदस्य
3. 13 (3) सी-सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य:—
 1. श्री सुरेशकुमार धनोतिया, निवासी अंत्रालिया सदस्य
 2. डॉ. कन्हैयालाल कोटवाल, निवासी गरोठ सदस्य
 3. श्रीमती कविता पति अनिलकुमार राठौर, नि. भानपुरा सदस्य
 4. श्रीमती स्नेहलता गुप्ता, नि. गुराड़िया नरसिंह सदस्य
4. धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य:—
 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गरोठ सदस्य
 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भानपुरा सदस्य
 3. अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विभाग, गरोठ सदस्य
5. धारा 13(3) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य:—
प्रबंधक, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, शाखा गरोठ
6. धारा 13(3) एफ-धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गरोठ.

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, मल्हारगढ़

1. धारा 13 (3) ए-उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़ अध्यक्ष
2. धारा 13 (3)बी-अजा/अजजा के तीन सदस्य :—
 1. श्री बसंतीलाल पिता रामलाल आर्य, नि. कनघट्टी सदस्य
 2. श्री रामेश्वर पिता नंदराम गवरी, नि. मल्हारगढ़ सदस्य
 3. श्री धन्नालाल पिता भेरूलाल भील, नि. बही सदस्य
3. धारा 13 (3) सी-सामाजिक कार्यकर्ता के दो सदस्य:—
 1. श्री राजेश पिता भवानीराम पाटीदार, नि. बूढा सदस्य
 2. श्री विष्णुदास पिता मांगुदास बैरागी, नि. मनासा खुर्द सदस्य
 3. श्रीमती निर्मला पति शरदकुमार जैन, नि. संजीत सदस्य

4. धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य:—
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मल्हारगढ़ सदस्य
 2. पंचायत निरीक्षक, मल्हारगढ़ सदस्य
 3. वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी, मल्हारगढ़ सदस्य
5. धारा 13(3) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य:—
प्रबंधक, को-आपरेटिव बैंक, मल्हारगढ़ सदस्य
6. धारा 13(3) एफ-धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़.

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, सीतामऊ

1. धारा 13 (3) ए-उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीतामऊ अध्यक्ष
2. धारा 13 (3)बी-अजा/अजजा के तीन सदस्य :—
 1. श्री शंकरलाल पिता गंगाराम बागड़ी, नि. रूनिजा सदस्य
 2. श्री रामप्रसाद पिता गोवर्धनलाल जयपाल, नि. तितरोद सदस्य
 3. श्री केगु पिता कुका भील, नि. काचरिया सदस्य
3. 13 (3) सी-सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य:—
 1. श्री विक्रमसिंह पिता प्रभाकरसिंह, महुवा सदस्य
 2. श्री किशोरलाल पिता सज्जनलाल जैन नि. सीतामऊ सदस्य
 3. श्रीमती देउबाई पति भंवरलाल राठौर, नि. लदुना सदस्य
4. धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य:—
 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीतामऊ सदस्य
 2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, सीतामऊ सदस्य
 3. वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी, सीतामऊ सदस्य
5. धारा 13(3) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य:—
प्रबंधक, जिला केन्द्रीय बैंक, सीतामऊ सदस्य
6. धारा 13(3) एफ-धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीतामऊ.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्र. एफ. 87-293-15-ग्यारह-349.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह फरवरी, 2015 में सम्पन्न नगर परिषद् छापीहेड़ा, जिला राजगढ़, के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्रीमती सम्पत बाई अध्यक्ष पद अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 फरवरी 2015 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 मार्च 2015 को, श्रीमती सम्पत बाई द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के पास दाखिल किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के पत्र क्रमांक 747, दिनांक 27 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्रीमती सम्पत बाई द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर ही व्यय लेखे दाखिल किए गए, किन्तु उनके द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

अभ्यर्थी, श्रीमती सम्पत बाई द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण व्यय लेखों को पूर्ण कराए जाने संबंधी कृत् कार्यवाही की जानकारी आयोग के पत्र दिनांक 3 मई 2016 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-राजगढ़ से चाही गई.

आयोग के उपर्युक्त पत्र दिनांक 3 मई 2016 के संदर्भ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला राजगढ़ द्वारा नोटिस दिनांक 17 मई 2016 अभ्यर्थी, श्रीमती सम्पत बाई को जारी कर दिनांक 31 मई 2016 तक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया एवं इसकी सूचना आयोग को भी दी गई.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.), जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश के आयोग को प्रेषित ज्ञापन क्रमांक 180, दिनांक 1 जून 2016 द्वारा सूचित किया गया कि श्रीमती सम्पत बाई दिनांक 31 मई 2016 को जिला कार्यालय में उपस्थित तो हुई किन्तु उनके द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

उपरोक्त के उपरन्त आयोग द्वारा न्यायहित में श्रीमती सम्पत बाई को उनके निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के माध्यम से सूचना-पत्र दिनांक 15 जून 2016 जारी कर समस्त कागजात एवं प्रमाणों सहित दिनांक 5 जुलाई 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया.

अभ्यर्थी, श्रीमती सम्पत बाई को आयोग द्वारा जारी सूचना-पत्र की तामीली व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व हो चुकी थी, किन्तु श्रीमती सम्पत बाई व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई और न ही उनकी ओर से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही आयोग को प्राप्त हुआ.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, श्रीमती सम्पत बाई द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्रीमती सम्पत बाई को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, छापीहेड़ा, जिला राजगढ़ (म. प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्यप्रदेश के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016

आदेश

क्र. एफ. 87-121-15-11-351.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न नगर परिषद्, ब्यूहारी, जिला शहडोल, म. प्र. के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में सुश्री बेगम नसरीन भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक सुश्री बेगम नसरीन को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर के पत्र क्रमांक 299, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, सुश्री बेगम नसरीन द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर, शहडोल से आयोग को प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी सुश्री बेगम नसरीन को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 मार्च 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामिली के उपरान्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन), जिला शहडोल

म. प्र. के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 16 मई 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी सुश्री बेगम नसरीन द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय का लेखा अथवा नोटिस के विरुद्ध किसी प्रकार अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

जिले से उक्ताशय की जानकारी आयोग को प्राप्त हो जाने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्ततः न्यायहित में अभ्यर्थी, सुश्री बेगम नसरीन के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के माध्यम से सूचना-पत्र दिनांक 15 जून 2016 जारी कर सभिलेख व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 5 जुलाई 2015 को बुलाया गया.

व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि को अभ्यर्थी सुश्री बेगम नसरीन के स्थान पर उनके पति श्री शेख रवानी उपस्थित हुए. उनके द्वारा अभ्यर्थी सुश्री नसरीन की ओर से अभ्यावेदन दिनांक 4 जुलाई 2016 प्रस्तुत कर उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि-सहकारी बैंक द्वारा चैक जारी नहीं होने से वे व्यय लेखे समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके. यही बात उनके पति की ओर से भी व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कही गई. इसके अलावा मौखिक सुनवाई के दौरान वे कोई ऐसे पृष्ठ प्रमाण-प्रस्तुत नहीं कर सके जिसके आधार पर उनका व्यय लेखा मान्य किया जा सके.

अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी सुश्री बेगम नसरीन द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी सुश्री बेगम नसरीन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् ब्यूहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच)की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016

आदेश

क्र. एफ. 87-121-15-11-352.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न नगर परिषद्, ब्यौहारी, जिला शहडोल, म. प्र. की अध्यक्ष के आम निर्वाचन में सुश्री सवाना बेगम भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, सुश्री सवाना बेगम को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर के पत्र क्रमांक 299, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, सुश्री सवाना बेगम द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर, शहडोल से आयोग को प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी सुश्री सवाना बेगम को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 मार्च 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी

अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली के उपरान्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन), जिला शहडोल म. प्र. के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 16 मई 2016 में इस बात का उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थी सुश्री सवाना बेगम द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन व्यय का लेखा अथवा नोटिस के विरुद्ध किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं नहीं किया गया है.

जिले से उक्ताशय की जानकारी आयोग को प्राप्त हो जाने के उपरान्त आयोग द्वारा अन्ततः न्यायहित में अभ्यर्थी, सुश्री सवाना बेगम के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के माध्यम से सूचना-पत्र दिनांक 15 जून 2016. जारी कर सभिलेख व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 5 जुलाई 2015 को बुलाया गया. नोटिस की तामीली सुश्री सवाना बेगम को समय पूर्व हो चुकी थी.

व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि को अभ्यर्थी सुश्री सवाना बेगम उपस्थित नहीं हुई और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन आयोग को भेजा गया.

अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी सुश्री सवाना बेगम द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी सुश्री सवाना बेगम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016
आदेश

क्र. एफ. 87-122-15-11-354.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न नगर परिषद्, खांड जिला शहडोल, म. प्र. के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री कमलेश केवट भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ एवं निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखरी तारीख 3 जनवरी 2015 नियत थी।

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री कमलेश केवट को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल (म. प्र.) के पत्र क्रमांक 299, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री कमलेश केवट द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वा. अधिकारी, शहडोल म. प्र. से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री कमलेश केवट को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 मार्च 2015 को जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर

प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन), जिला शहडोल म. प्र. के ज्ञापन दिनांक 16 मई 2016 के संलग्न प्राप्त कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी श्री केवट को दिनांक 18 मार्च 2015 को हो चुकी थी, परन्तु अभ्यर्थी श्री केवट की ओर से विलंब से व्यय लेखा दाखिल करने संबंधी दस्तावेज और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ।

अन्ततः आयोग द्वारा न्यायहित में अभ्यर्थी, श्री कमलेश केवट के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के माध्यम से सूचना-पत्र दिनांक 16 जून 2016 जारी कर अभ्यर्थी श्री केवट को सभिलेख व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 5 जुलाई 2016 को बुलाया गया। सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी, श्री केवट को व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख के पूर्व हो चुकी थी।

कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी, श्री कमलेश केवट को समय पूर्व हो जाने के उपरान्त भी वे व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन ही आयोग को भेजा गया।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी श्री कमलेश केवट द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री कमलेश केवट को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् खांड, जिला शहडोल (म. प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2016

आदेश

क्र. एफ. 87-122-15-11-355.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न नगर परिषद्, खांड जिला शहडोल, म. प्र. के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री दिलीप सिंह बरगाही भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ एवं निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखरी तारीख 3 जनवरी 2015 नियत थी.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री दिलीप सिंह बरगाही को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल म. प्र. के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल (म. प्र.) के पत्र क्रमांक 299, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट - छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, श्री दिलीप सिंह बरगाही द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा ही नहीं प्रस्तुत किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वा. अधिकारी, शहडोल म. प्र. से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री दिलीप सिंह बरगाही को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 मार्च 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर

प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन), जिला शहडोल म. प्र. के ज्ञापन दिनांक 16 मई 2016 के संलग्न प्राप्त कारण बताओ नोटिस की तामीली अभ्यर्थी श्री दिलीप सिंह बरगाही को दिनांक 19 मार्च 2015 को हो चुकी थी, परन्तु अभ्यर्थी श्री दिलीप सिंह बरगाही की ओर से विलंब से व्यय लेखा दाखिल करने संबंधी दस्तावेज और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन आयोग को प्राप्त हुआ.

अन्ततः आयोग द्वारा न्यायहित में श्री दिलीप सिंह बरगाही के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के माध्यम से सूचना-पत्र दिनांक 16 जून 2016 जारी कर अभ्यर्थी श्री केवट को सभिलेख व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 5 जुलाई 2016 को बुलाया गया. सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी, श्री केवट को व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख के पूर्व हो चुकी थी.

कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली अभ्यर्थी, श्री दिलीप सिंह बरगाही को समय पूर्व हो जाने के उपरान्त भी वे व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन ही आयोग को भेजा गया.

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी श्री दिलीप सिंह बरगाही द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखे निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री दिलीप सिंह बरगाही को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् खांड, जिला शहडोल (म. प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच) की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

कार्यालय, कलेक्टर, (श्रम) जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. 4116.—बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम 1976 (क्र. 19-1976) की धारा 13 के प्रावधानों अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं, अरूण कुमार तोमर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अशोकनगर के लिए "मध्यप्रदेश" में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूँ:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला अशोकनगर

1.	जिला दण्डाधिकारी, जिला अशोकनगर (म. प्र.)	—	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शीतल कलावत, निवासी आजाद मोहल्ला, अशोकनगर (म. प्र.)	—	सदस्य
3.	श्री बाबूलाल दैलवार, निवासी वार्ड 8 ओवर ब्रिज के पास, अशोकनगर (म. प्र.)	—	सदस्य
4.	श्री घूमन सिंह, ग्राम व पोस्ट महुअन तह. ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म. प्र.)	—	सदस्य
5.	डॉ. आर. के. गोयल, निवासी महावीर कालोनी, अशोकनगर (म. प्र.)	—	सदस्य
6.	डॉ. वाय. डी. अग्रवाल, निवासी ओम कालोनी अशोकनगर (म. प्र.)	—	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर (म. प्र.)	—	सदस्य
8.	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अशोकनगर (म. प्र.)	—	सदस्य
9.	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला अशोकनगर (म. प्र.)	—	सदस्य
10.	प्रबंधक, लीड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अशोकनगर, जिला अशोकनगर (म. प्र.)	—	सदस्य

अरूण कुमार तोमर, कलेक्टर.

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-हातोद, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश

हातोद, दिनांक 26 जुलाई 2016

प्ररूप—घ

(नियम 6 देखिये)

क्र. 540-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्र. 04-अ-82-2016-17.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 127-भू-अर्जन-2016, हातोद, दिनांक 26 मई 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील, हातोद, जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जून 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	हातोद	मालीबड़ोदिया प.ह.नं. 33	6 7/1 7/2	0.034 0.033 0.026

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	हातोद	मालीबड़ोदिया	33	0.059
		प.ह.नं. 33	34/2/2	0.066
			35/1	0.059
			35/2	0.062
			59/2	0.120
			60/2	0.068
			68/1	0.132
			69/1/1	0.037
			69/1/2	0.046
			69/2	0.093
			76	0.006
			77/1	0.134
			77/2	0.106
			131/1	0.145
			131/2	0.022
			131/3	0.132
			134	0.022
कुल योग . .				1.402

क्र. 543-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्र. 03-अ-82-2016-17.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 124-भू-अर्जन-2016, हातोद, दिनांक 26 मई 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जून 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	हातोद	पिपलियातफा	64/2	0.119
		प.ह.नं. 34	69/1	0.017
कुल योग . .				0.136

क्र. 549-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्र. 01-अ-82-2016-17.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 130-भू-अर्जन-2016, हातोद, दिनांक 26 मई 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह,

जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद, जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जून 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर प.ह.नं. 33	267/1	0.092
			356/1	0.007
			267/3	0.015
			288/2	0.039
			267/2/2	0.044
			356/3	0.022
			267/2/1मिन-1	0.039
			272	0.046
			844/2	0.079
			273/1	0.046
			288/1	0.004
			274	0.016
			273/2	0.046
			276/1	0.003
			355/2/मिन-1	0.012
			355/2/मिन-2	0.012
			356/2	0.018
			357	0.014
			650/1	0.017
			650/2	0.017
			653/2	0.009
			359/1/1	0.012
			651/1	0.004
			359/1/2/मिन-2	0.012
			653/3/मिन-2	0.015
			359/2/1	0.012
			362	0.017
			363	0.020
			622/1	0.024
			629	0.073
			630/1	0.018
			630/2	0.014
			635/2	0.044
			635/3 मिन-1	0.037

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर	637	0.033
		प.ह.नं. 33	636/2	0.011
			649/1	0.011
			650/3	0.017
			676/1	0.032
			676/2	0.037
			676/3	0.007
			705	0.035
			707	0.029
			710/1/2	0.035
			710/2	0.031
			703	0.092
			704/2	0.016
			706/2	0.058
			761/3	0.036
			761/4	0.006
			762/1/1	0.169
			763	0.076
			715	0.053
			716	0.021
			765	0.053
			766/1	0.013
			829	0.037
			830/1/1	0.044
			831	0.037
			830/2	0.043
			837/1	0.064
			837/2	0.050
			837/3/2	0.032
			839/1/1	0.037
			840/2/1	0.004
			840/2/2	0.004
			846/1	0.062
			864/2/मिन-1	0.036
			846/2/मिन-2	0.022
			840/2/3	0.053
			840/2/4	0.058
			843	0.004
			844/1	0.046
			845/1	0.092
			624/2	0.004
			275/1	0.020
			275/2	0.015

कुल योग . . . 2.534

हातोद, दिनांक 27 जुलाई 2016

क्र. 546-भू-अर्जन-2016-राजस्व प्रकरण क्र. 02-अ-82-2016-17.—अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 121-भू-अर्जन-2016, हातोद, दिनांक 26 मई 2016 द्वारा राज्य सरकार ने नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक परियोजना के लिए ग्राम-सिरलाय, प.ह.नं. 46, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से ग्राम बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर तक जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 3 जून 2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चर्चा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इन्दौर	हातोद	हिंगोनियाखुर्द प.ह.नं. 34	7/2	0.033
			218/340	0.081
			220	0.020
			221/1/2	0.022
			221/1/3/1	0.022
			221/1/3/2	0.099
			221/2	0.092
			230/1	0.013
			230/2	0.070
			232	0.077
			300	0.171
			233	0.017
			235/1	0.011
			235/2	0.057
			248/1	0.092
			248/2	0.013
			248/337	0.073
			250	0.075
			252/2	0.079
			253/4	0.110
252/3	0.029			
256/4/1/2	0.084			
256/4/2ख	0.008			
256/4/1/3/1	0.053			
256/5/5	0.040			
256/4/1/3/2	0.035			
256/5/1	0.044			
256/5/2	0.121			
256/5/6	0.040			
इन्दौर	हातोद	बड़ीकलमेर प.ह.नं. 33	256/5/7	0.048
			301/2/5	0.013

कुल योग . . . 1.742

अनिल बनवारिया, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 30 जुलाई 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-2015-16.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग, संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के पक्ष में तिकोनाघाट तालाब की नहर के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 12-2-2014-सात-2-ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञापन क्र. 12-2-2014-सात-2ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12-2-2014-सात-2ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

1. परियोजना का नाम:—तिकोनाघाट तालाब नहर निर्माण
2. भूमि का विवरण:—ग्राम सौरका, तहसील—पृथ्वीपुर, जिला—टीकमगढ़
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल—0.200 हेक्टेयर.

अनुसूची

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धनीराम तनय रगवर, जाति लोधी, निवासी ग्राम भूमिस्वामी	1268	0.344	0.065
			योग :	0.344
2	भगोने पिता गुन्डे लोधी, 1/2 भाग, धनीराम तनय रगवर 1/2, लोधी, नि. ग्रामी.	1699 1701 1700	0.611	0.135
			योग :	0.611

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—तिकोनाघाट तालाब नहर निर्माण करने हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2016

प्र. क्र. एफ-22-6-2015-16-ल. सिं.-31-234, दिनांक 23-02-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी भूमि रकबा					
अनूपपुर	अनूपपुर	चिल्हारी	9.68	भू-अर्जन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म. प्र.).	बकान डायवर्सन योजनान्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र.
		सकरा	0.88		
		मौहरी	1.85		
		योग . .	<u>12.41</u>		
अनूपपुर	अनूपपुर	मौहरी	9.50	भू-अर्जन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म. प्र.).	बकान डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.
		परसवार	12.78		
		योग . .	<u>22.28</u>		
		कुल योग . .	<u>34.69</u>		
शासकीय भूमि रकबा					
अनूपपुर	अनूपपुर	चिल्हारी	9.592	भू-अर्जन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म. प्र.).	बकान डायवर्सन योजनान्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
		सकरा	5.635		
		मौहरी	5.273		
		योग . .	<u>20.50</u>		
अनूपपुर	अनूपपुर	मौहरी	1.125	भू-अर्जन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म. प्र.).	बकान डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.
		परसवार	1.42		
		योग . .	<u>2.545</u>		
		कुल योग . .	<u>23.045</u>		
		महायोग . .	<u>57.735</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. एफ-22-6-2015-16-ल. सिं.-31-234, दिनांक 23-02-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस

आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी भूमि रकबा					
अनूपपुर	जैतहारी	वेंकटनगर	19.20	भू-अर्जन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म. प्र.).	सिंहपुर डायवर्सन योजनान्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र.
		खोड़री	6.35		
		खैरी	4.35		
		योग . . .	<u>29.90</u>		
अनूपपुर	जैतहारी	उमरिया	3.55	भू-अर्जन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म. प्र.).	सिंहपुर डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.
		चारभठी	3.71		
		गोधन	4.67		
		सुलखारी	6.05		
		खोड़री	0.06		
		खैरी	2.40		
		योग . . .	<u>20.44</u>		
		कुल योग . . .	<u>50.34</u>		

शासकीय भूमि रकबा

अनूपपुर	जैतहारी	वेंकटनगर	8.21	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	सिंहपुर डायवर्सन योजनान्तर्गत बांध एवं डूब क्षेत्र कार्य हेतु.
		खोड़री	1.61		
		खैरी	2.13		
		योग . . .	<u>11.95</u>		
अनूपपुर	जैतहारी	उमरिया	0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.	सिंहपुर डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर कार्य हेतु.
		चोरभठी	0.40		
		गोधन	0.42		
		सुलखारी	0.46		
		खोड़री	0.05		
		खैरी	0.63		
		योग . . .	<u>2.05</u>		
		कुल योग . . .	<u>14.00</u>		
		महायोग . . .	<u>64.34</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. एफ-22-6-2015-16-ल. सिं.-31-234, दिनांक 23-02-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और चारदर्शिता अधिकार

अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निजी भूमि रकबा				
अनूपपुर	अनूपपुर	देवरी	5.934	भू-अर्जन अधिकारी, जिला-अनूपपुर (म. प्र.). गोहरारी डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
		अमलाई	8.304	
		कदमटोला	3.990	
		पयारी	0.700	
		योग . .	<u>18.928</u>	
शासकीय भूमि का रकबा				
		कदमटोला	0.75	
		पयारी	0.30	
		योग . .	<u>1.05</u>	
		कुल योग . . .	<u>19.978</u>	

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र सिंह परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मुरैना, दिनांक 25 जून 2016

प्र. क्र. . . . भू-अर्जन-2016-17-5612-प्रकरण क्रमांक 06-भू-अर्जन-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मुरैना	जौरा	ईटावली	निजी भूमि रकबा 25.887	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा जिला मुरैना म. प्र. आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. . . . भू-अर्जन-2016-17-5613-प्रकरण क्रमांक 07-भू-अर्जन-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुरैना	जौरा	बिचपुरी	निजी भूमि रकबा 25.35	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा जिला मुरैना म. प्र.	आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुरैना, दिनांक 25 जुलाई 2016

प्र. क्र. 09-भू-अर्जन-2016-17-प्रकरण क्रमांक 09-अ-82-भू-अर्जन-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुरैना	जौरा	लोहा बसई	निजी भूमि रकबा 72.52	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा जिला मुरैना म. प्र.	आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-भू-अर्जन-2016-17-प्रकरण क्रमांक 10-अ-82-भू-अर्जन-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुरैना	जौरा	चन्दपुरा	निजी भूमि रकबा 24.35	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा जिला मुरैना म. प्र.	आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-भू-अर्जन-2016-17-प्रकरण क्रमांक 11-अ-82-भू-अर्जन-वर्ष 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुरैना	जौरा	सिधौरा	निजी भूमि रकबा 71.829	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा जिला मुरैना म. प्र.	आसन बैराज योजना अन्तर्गत बैराज का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जौरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 11 जुलाई 2016

प्र. क्र. 03-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन

की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	टिहोली	772-0.279	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की टिहोली मायनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर-रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	आरोली	241/मिन-1	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की हस्तिनापुर मायनर निर्माण हेतु.
			241/मिन-2		
		योग	.0.253		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा

या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर-रकबा (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	टिहोली	25/मिन-1 25/मिन-2 26/मिन-1 26/मिन-2	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग, क्रमांक 2 डबरा, जिला ग्वालियर.		हरसी उच्चस्तरीय नहर की आरोली शाखा नहर के आर मायनर निर्माण हेतु.
			योग .	.0.199		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 13 जुलाई 2016

प. क्र. 6528-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की उपधारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम/प.ह.न./ ब.न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म., धनौरा.	मुंगवानी प.ह.नं. 24	3.15	कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग, केवलारी, जिला सिवनी.		नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण कार्यालय (भू-अर्जन) अधिकारी/अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 14 जुलाई 2016

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग अर्जित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	कुड़ैला	176.611	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़ामलहरा/भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा, जिला-छतरपुर.	बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.

- (1) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
- (2) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग अर्जित रकबा (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	बन्न बरेला	17.15	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़ामलहरा/भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा, जिला-छतरपुर.	बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.

- (1) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
- (2) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	सरकना	76.908	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़ामलहरा/भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा, जिला-छतरपुर.	बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.

- (1) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
- (2) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्रधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त बानसुजारा बांध का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (1) एवं धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	घुवारा	सोरखी	122.225	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बड़ामलहरा/भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा, जिला-छतरपुर.	बानसुजारा बांध अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली अतिरिक्त भूमि का भू-अर्जन.

- (1) भूमि का नक्शा एवं प्लान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़ामलहरा के कार्यालय में देखे जा सकते हैं.
- (2) भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, बानसुजारा बांध जल संसाधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 27 जून 2016

क्र. 281-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—पनगरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.485 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
11	0.120
12	0.056
16/1	0.024
17/1	0.124
27	0.175
28	0.180
29	0.170
30/3	0.040
36/1	0.153
36/2	0.072
36/4	0.115
42	0.006
43/1	0.050
43/2/क	0.010
43/2/ख	0.040
44	0.036
45	0.090
63	0.024
कुल क्षेत्रफल . . .	1.485
निजी खाता भूमि योग रकबा . . .	1.485

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा
घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर के बांसाबरी
सबमाइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर
(भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है.

क्र. 282-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—तुरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.960 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
216	0.025
217	0.115
218	0.045
219	0.029
220	0.180
224/2	0.024
225/1	0.182
225/2	0.090
225/3	0.078
230/376/1	0.250
233/1	0.064
233/2	0.066
233/3	0.105
234/1	0.007
235	0.211
237	0.010
238	0.265
206/1	0.220
206/5	0.240
208/5	0.192
212/1/क	0.168
212/1/ख	0.140
213/2	0.016
215/1/क	0.014

(1)	(2)
215/1/ख	0.009
215/2	0.009
216	0.016
217	0.170
220	0.020
कुल योग . .	2.960
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	2.960

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 283-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—चकहटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.427 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
10/2	0.010
11/1/क	0.056
11/1/ख	0.147
11/2	0.347
13/2/1	0.210
13/2/2	0.110
14/2/1	0.024
30/1	0.090
30/2	0.402
12	0.010
29	0.015
9	0.006
कुल योग . .	1.427
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	1.427

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा

घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 28 जून 2016

क्र. 289-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम—अमिलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.732 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
88	0.016
92/2	0.016
93/1	0.024
93/2	0.056
94	0.042
95	0.142
96	0.144
97	0.052
323	0.268
324	0.025
326/3/2	0.006
326/508	0.016
327	0.162
376	0.038
377/3/1/क	0.202
377/3/1/ख	0.258
378	0.005
379/1	0.003
380	0.006
381/1/2/ख	0.007
381/1/2/ग	0.005
382/1/2/ख	0.010
382/1/2/ग	0.086

(1)	(2)	(ग) नगर/ग्राम—बांसाबरी	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.966 हेक्टर.
		खसरा सर्वे	अधिग्रहीत क्षेत्रफल
		नम्बर	(हेक्टर में)
		(1)	(2)
411/1	0.010	4	0.110
411/2	0.005	5	0.115
412	0.188	6/2	0.015
412/507/1	0.129	7/1	0.110
413/1	0.024	7/2	0.134
414/1	0.003	8/2	0.034
459	0.345	10	0.163
460	0.029	12/1	0.120
461/1	0.010	13	0.016
462/1	0.289	17/1/ख	0.089
462/3	0.090	17/2	0.089
467	0.068	19/1	0.087
468	0.126	19/2	0.014
469	0.010	19/3	0.086
476	0.115	20/1/ख	0.014
477	0.120	20/2/2	0.002
479/1	0.002	22/2/1	0.089
480/2	0.172	22/2/2	0.089
480/4	0.010	26/1	0.046
487/1	0.005	26/2	0.046
489	0.206	26/3	0.047
490/1	0.062	29	0.036
490/2	0.125	30/1/क	0.004
कुल योग . . .	3.732	31/2	0.036
निजी खाता भूमि योग रकबा . . .	3.732	32/2	0.106
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा		33	0.144
घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर निर्माण हेतु.		34	0.003
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर		36	0.072
(भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा		37	0.015
सकता है.		38/1	0.106
क्र. 290-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का		38/2	0.106
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		39	0.192
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन		40	0.020
के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013		200	0.084
संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके		243	0.020
द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन		244	0.073
के लिये आवश्यकता है:—		245	0.084
		247	0.042
		249	0.048
		251/2	0.005
		252	0.084

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(1)	(2)	(1)	(2)
253/1	0.007	19	0.040
259/1	0.094	21	0.102
262/1/क	0.007	22	0.034
262/1/ख/2	0.063	27	0.042
कुल योग . .	<u>2.966</u>	28	0.144
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>2.966</u>	29	0.006
		30	0.048
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर एवं बांसाबरी सबमाइनर निर्माण हेतु.		31	0.211
		33	0.168
		35	0.008
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.		48	0.003
		49	0.020
		50	0.032
		51	0.063
क्र. 291-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		52	0.024
		53	0.067
		57	0.029
		58	0.052
		59	0.025
		60	0.052
		61	0.021
		128	0.221
		726/2	0.032
(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)		730	0.096
(क) जिला—सतना		731	0.006
(ख) तहसील—उचेहरा		739	0.030
(ग) नगर/ग्राम—नंदहा		740	0.051
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.854 हेक्टर.		741	0.042
खसरा सर्वे	अधिग्रहीत क्षेत्रफल	742	0.017
नम्बर	(हेक्टर में)	743	0.015
(1)	(2)	744	0.020
3/1	0.011	745	0.085
3/2	0.134	747	0.103
3/3	0.096	748	0.010
7	0.157	20	0.004
8/1/क	0.120	21	0.053
8/1/ख	0.050	28	0.048
9/2	0.004	107	0.010
11	0.154	108	0.159
14	0.184	109/1	0.012
15	0.173	110	0.076
16	0.020	111	0.058
17	0.063	116	0.052
18/1	0.063	117	0.012
18/2	0.015	138	0.059

(1)	(2)	(1)	(2)
142	0.236	1023	0.064
143	0.010	1024	0.004
144/1	0.026	1025	0.072
144/2	0.004		कुल योग . . 7.854
145/1	0.105		निजी खाता भूमि योग रकबा . . 7.854
145/2	0.097	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है.—नर्मदा
146/1	0.109		घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर एवं नंदहा,
146/2	0.021		बांसाबरी अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु.
266	0.004	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर
269	0.235		(भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा
272/1	0.083		सकता है.
272/2	0.078		सतना, दिनांक 29 जून 2016
272/3	0.078		क्र. 294-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का
273	0.006		समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित
275/2	0.006		भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन
277	0.006		के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013
279	0.005		संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके
280/1	0.005		द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन
281	0.040		के लिये आवश्यकता है:—
282	0.178		अनुसूची
938	0.084	(1)	भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
939	0.056		(क) जिला—सतना
972/1	0.377		(ख) तहसील—उचेहरा
973/1	0.293		(ग) नगर/ग्राम—मझोखर
973/3	0.284		(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.670 हेक्टर.
973/4	0.098		खसरा सर्वे
974	0.360		अधिग्रहीत क्षेत्रफल
975	0.010		नम्बर
979	0.036		(1)
995/1092	0.002		(2)
997	0.015		28/1
998	0.050		29/1
999	0.152		30/1
1000	0.084		30/2
1004	0.019		30/3
1005	0.180		33
1006	0.080		34/2
1007	0.100		35/2
1014	0.086		36/2
1015	0.177		37/3
1018	0.028		39
1019	0.055		123
1021	0.010		124
1022	0.040		126/1/ख/2

(1)	(2)	(1)	(2)
126/2	0.096	83	0.009
126/3/ख	0.110	84	0.066
127/1	0.012	85	0.072
128/1	0.147	86	0.075
128/2	0.213	90/1	0.029
कुल योग . .	<u>2.670</u>	90/2	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

91	0.044
96	0.028
97	0.039
98	0.028
99/1	0.020
99/2	0.047
99/3	0.018
99/4	0.059
100	0.041
101	0.009
102	0.001
103	0.001
104	0.005
105	0.004

कुल योग . . 1.267

क्र. 295-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—फनगरी

(घ) क्षेत्रफल—1.267 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
31	0.019
32	0.019
35	0.057
36	0.042
37	0.005
38	0.042
39	0.016
40	0.080
43	0.184
44/2	0.016
45/1	0.040
75/1	0.038
75/2	0.074
82	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर के बांसावरी सबमाइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 30 जून 2016

क्र. 300-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम—लालपुर	(1)	(2)
(घ) क्षेत्रफल—6.208 हेक्टर.	636	0.056
खसरा सर्वे	637	0.035
नम्बर	792	0.010
(1)	(2)	
149	793/1/ख	0.100
156/2	793/2	0.036
157/2	794	0.042
158/1	797/1/क	0.007
170/2	797/1/ख	0.015
171/1	797/1/ग	0.016
172/1/1	798	0.014
172/1/2/क	799/1	0.055
172/2	799/2/क	0.045
176	799/2/ख	0.045
180	802	0.084
181/1	803/1	0.093
181/2	803/2	0.264
182/1	805	0.158
182/2	806	0.012
191	814/1	0.010
192	814/2	0.050
200/1/1	814/3	0.080
200/1/2	815/1	0.045
200/2	815/2	0.005
200/3/1	820	0.016
200/3/2	821	0.068
200/3/3	821/913	0.110
204/1	825	0.182
204/2	839/2	0.081
205/2	839/911	0.105
206	840/1	0.062
207	840/2	0.013
208	841	0.265
210	842	0.170
620	882/1	0.200
621	883	0.267
623	885	0.286
624	897/1	0.052
626	897/2	0.145
628	900/14	0.117
629		
630		
631		
634		
635		
	कुल योग . . .	6.208

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के चकहटा माइनर एवं नंदहा, अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।	(1)	(2)	(3)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	274	0.02	निजी भूमि
	275	0.02	निजी भूमि
	289	0.01	निजी भूमि
	290	0.03	निजी भूमि
	287	0.01	निजी भूमि
	284	0.03	निजी भूमि
	297	0.03	निजी भूमि
	298	0.04	निजी भूमि
	299	0.03	निजी भूमि
	271	0.02	निजी भूमि
	270	0.01	निजी भूमि
	283	0.01	निजी भूमि
	365/2	0.21	निजी भूमि
	375/1	0.01	निजी भूमि
	366	0.01	निजी भूमि
	368	0.02	निजी भूमि
	369	0.03	निजी भूमि
	375/2	0.01	निजी भूमि
	422	0.15	निजी भूमि
	423	0.02	निजी भूमि
	421	0.01	निजी भूमि
	425	0.02	निजी भूमि
	428	0.02	निजी भूमि
	429	0.02	निजी भूमि
	430	0.04	निजी भूमि
	461	0.04	निजी भूमि
	471	0.02	निजी भूमि
	472	0.01	निजी भूमि
	473	0.02	निजी भूमि
	474	0.02	निजी भूमि
	476	0.02	निजी भूमि
	477	0.01	निजी भूमि
	487	0.02	निजी भूमि
	488	0.02	निजी भूमि
	489	0.06	निजी भूमि
	517	0.01	निजी भूमि
	518	0.02	निजी भूमि
	516	0.03	निजी भूमि
	515	0.01	निजी भूमि
	510	0.01	निजी भूमि
	511	0.01	निजी भूमि
	512	0.02	निजी भूमि
	504	0.03	निजी भूमि
		<u>1.40</u>	
		कुल रकबा निजी भूमि	1.40
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			
पन्ना, दिनांक 11 जुलाई 2016			
प्र. क्र. 222-अ-82-वर्ष 2014-15.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—पन्ना			
(ख) तहसील—शाहनगर			
(ग) ग्राम—सलैया वीरान, प.ह.नं. 37			
(घ) क्षेत्रफल—1.40 हेक्टेयर.			
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
(1)	(2)	(3)	
144/1	0.01	निजी भूमि	
144/2	0.01	निजी भूमि	
144/3	0.01	निजी भूमि	
144/4	0.01	निजी भूमि	
140	0.08	निजी भूमि	
228	0.03	निजी भूमि	
229	0.02	निजी भूमि	
236	0.02	निजी भूमि	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—चौपरा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 058-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—जिगदहा, प.ह.नं.
(घ) क्षेत्रफल—2.34 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
767/2	0.20	निजी भूमि
765	0.03	निजी भूमि
766/2	0.15	निजी भूमि
767/1	0.50	निजी भूमि
769	0.05	निजी भूमि
771	0.03	निजी भूमि
770	0.60	निजी भूमि
788/1	0.08	निजी भूमि
788/2	0.45	निजी भूमि
785/2	0.08	निजी भूमि
790/2	0.10	निजी भूमि
784	0.07	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	2.34	

प्र. क्र. 059-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—नुनाही, प.ह.नं. 26
(घ) क्षेत्रफल—4.830 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
12	0.200	निजी भूमि
13	0.120	निजी भूमि
16	0.020	निजी भूमि
14/4	0.050	निजी भूमि
15/2	0.050	निजी भूमि
11	0.400	निजी भूमि
25	0.500	निजी भूमि
26	0.020	निजी भूमि
53	0.040	निजी भूमि
54	0.500	निजी भूमि
51	0.020	निजी भूमि
52	0.006	निजी भूमि
55	0.020	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
67/3	0.150	निजी भूमि
67/4	0.100	निजी भूमि
67/5	0.220	निजी भूमि
68	0.400	निजी भूमि
69	0.040	निजी भूमि
70	0.100	निजी भूमि
90	0.077	निजी भूमि
91/2	0.080	निजी भूमि
92	0.070	निजी भूमि
102	0.080	निजी भूमि
104	0.180	निजी भूमि
115	0.100	निजी भूमि
116	0.080	निजी भूमि
117	0.080	निजी भूमि
118	0.050	निजी भूमि
119	0.030	निजी भूमि
120	0.060	निजी भूमि
127	0.060	निजी भूमि
121	0.115	निजी भूमि
126	0.120	निजी भूमि
130	0.154	निजी भूमि
128/1	0.020	निजी भूमि
128/2	0.020	निजी भूमि
129	0.020	निजी भूमि
163	0.050	निजी भूमि
165	0.020	निजी भूमि
166	0.098	निजी भूमि
167	0.020	निजी भूमि
168/2	0.030	निजी भूमि
168/1	0.030	निजी भूमि
212	0.130	निजी भूमि
213/2	0.100	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ...	<u>4.830</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 060-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई अपेक्षा प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि

नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—रेमजीसागर, प.ह.नं. 19
(घ) क्षेत्रफल—3.954 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
330/1	0.384	निजी भूमि
337	0.200	निजी भूमि
336/2	0.180	निजी भूमि
339/1, 339/2	0.598	निजी भूमि
341/1	0.320	निजी भूमि
342	0.034	निजी भूमि
343	0.314	निजी भूमि
354	0.470	निजी भूमि
345	0.010	निजी भूमि
353/3	0.100	निजी भूमि
353/2	0.100	निजी भूमि
353/1	0.160	निजी भूमि
352	0.020	निजी भूमि
357	0.030	निजी भूमि
349	0.544	निजी भूमि
350	0.440	निजी भूमि
157	0.050	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ...	<u>3.954</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 061-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन

तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—पिपरिया, प.ह.नं. 24
(घ) क्षेत्रफल—2.35 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
14	0.28	निजी भूमि
15	0.32	निजी भूमि
40	0.10	निजी भूमि
39	0.11	निजी भूमि
38/1	0.12	निजी भूमि
38/2	0.33	निजी भूमि
38/3	0.46	निजी भूमि
26/1/1	0.07	निजी भूमि
26/1/2	0.18	निजी भूमि
26/2/1	0.28	निजी भूमि
24	0.10	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	2.35	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 062-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि

में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—दुबहिया, प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल—7.30 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
281	0.060	निजी भूमि
282	0.170	निजी भूमि
285	0.110	निजी भूमि
286	0.165	निजी भूमि
289	0.175	निजी भूमि
291	0.140	निजी भूमि
292	0.075	निजी भूमि
293	0.120	निजी भूमि
294	0.040	निजी भूमि
295	0.050	निजी भूमि
301	0.100	निजी भूमि
365	0.020	निजी भूमि
366	0.060	निजी भूमि
367	0.090	निजी भूमि
368	0.130	निजी भूमि
369	0.130	निजी भूमि
370	0.030	निजी भूमि
377	2.640	निजी भूमि
378	0.050	निजी भूमि
379	2.840	निजी भूमि
268	0.040	निजी भूमि
276	0.010	निजी भूमि
277	0.025	निजी भूमि
278	0.030	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . . .	7.300	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 063-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—बमुरी, प.ह.नं. 19
(घ) क्षेत्रफल—1.389 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
262	0.432	निजी भूमि
258/2	0.086	निजी भूमि
259/2	0.286	निजी भूमि
261/2	0.346	निजी भूमि
253	0.057	निजी भूमि
252	0.056	निजी भूमि
257	0.036	निजी भूमि
255	0.041	निजी भूमि
256	0.038	निजी भूमि
254/1	0.011	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	1.389	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 064-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—सिमरी वैश्य, प.ह.नं. 26
(घ) क्षेत्रफल—5.15 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
13	0.03	निजी भूमि
15	0.50	निजी भूमि
117	0.40	निजी भूमि
16	0.50	निजी भूमि
17	0.03	निजी भूमि
82	0.30	निजी भूमि
83	0.06	निजी भूमि
19	0.45	निजी भूमि
20/1	0.25	निजी भूमि
20/4	0.25	निजी भूमि
21/3	0.03	निजी भूमि
22/2	0.10	निजी भूमि
24/2	0.02	निजी भूमि
22/3	0.15	निजी भूमि
23	0.03	निजी भूमि
22/5	0.15	निजी भूमि
74/1	0.07	निजी भूमि
74/2	0.07	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—फुलदरी, प.ह.नं. 24	(घ) क्षेत्रफल—7.928 हेक्टेयर.		
			खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
			(1)	(2)	(3)	
73/3	0.01	निजी भूमि	15	0.010	निजी भूमि	
75	0.13	निजी भूमि	14	0.040	निजी भूमि	
76/2	0.18	निजी भूमि	13	0.050	निजी भूमि	
76/1क	0.12	निजी भूमि	6	0.390	निजी भूमि	
76/1ख	0.12	निजी भूमि	7	0.030	निजी भूमि	
81	0.03	निजी भूमि	8	0.550	निजी भूमि	
84	0.10	निजी भूमि	163	0.028	निजी भूमि	
86	0.01	निजी भूमि	162	0.580	निजी भूमि	
87/1	0.08	निजी भूमि	161	0.040	निजी भूमि	
66/1	0.12	निजी भूमि	160	0.090	निजी भूमि	
66/3	0.08	निजी भूमि	208	0.130	निजी भूमि	
116/1	0.11	निजी भूमि	217	0.230	निजी भूमि	
118/2	0.15	निजी भूमि	209	0.110	निजी भूमि	
116/2	0.02	निजी भूमि	210	0.300	निजी भूमि	
118/1	0.50	निजी भूमि	213	0.990	निजी भूमि	
कुल रकबा निजी भूमि . . .	5.15		262	0.050	निजी भूमि	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.			261/1	0.020	निजी भूमि	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.			261/2	1.240	निजी भूमि	
			264/2	0.050	निजी भूमि	
			285	0.210	निजी भूमि	
			284/1	0.110	निजी भूमि	
			282	0.270	निजी भूमि	
			305	0.320	निजी भूमि	
			306/1	0.030	निजी भूमि	
			306/2	0.030	निजी भूमि	
			314/1	0.280	निजी भूमि	
			314/2/1	0.110	निजी भूमि	
			314/2/2	0.160	निजी भूमि	
			315	0.120	निजी भूमि	
			336/1	0.520	निजी भूमि	
			336/2	0.520	निजी भूमि	
			334	0.060	निजी भूमि	
			333	0.130	निजी भूमि	
			283	0.020	निजी भूमि	
			284/2	0.110	निजी भूमि	
			कुल रकबा निजी भूमि . . .	7.928		
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.			

प्र. क्र. 066-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अधोक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर

प्र. क्र. 069-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—रैपुरा
(ग) ग्राम—कुंआखेड़ा, प.ह.नं.
(घ) क्षेत्रफल—0.38 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
233/1/2	0.04	निजी भूमि
239/1	0.02	निजी भूमि
241/1	0.16	निजी भूमि
243/1	0.13	निजी भूमि
244/2	0.01	निजी भूमि
247	0.01	निजी भूमि
248	0.01	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.38	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पटपरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 074-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—भिलसांय, प.ह.नं. 25
(घ) क्षेत्रफल—0.49 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
1579/1	0.24	निजी भूमि
1579/2	0.25	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	0.49	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ललितपुर-सतना, रोवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 075-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता

है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम—फुलवारी, प.ह.नं. 24
(घ) क्षेत्रफल—12.550 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
300	0.260	निजी भूमि
301	0.240	निजी भूमि
302	0.020	निजी भूमि
308	0.143	निजी भूमि
608	0.050	निजी भूमि
607	0.060	निजी भूमि
577	0.130	निजी भूमि
411/1	0.350	निजी भूमि
411/2	0.140	निजी भूमि
411/3	0.350	निजी भूमि
410	0.026	निजी भूमि
409	0.003	निजी भूमि
408/2	0.014	निजी भूमि
407	0.005	निजी भूमि
412	0.100	निजी भूमि
413	0.090	निजी भूमि
414/1	0.280	निजी भूमि
414/2	0.370	निजी भूमि
415	1.280	निजी भूमि
416	0.340	निजी भूमि
417	0.080	निजी भूमि
421	0.180	निजी भूमि
422	0.006	निजी भूमि
512	0.190	निजी भूमि
513	1.780	निजी भूमि
514	0.780	निजी भूमि
511	2.180	निजी भूमि
510	0.180	निजी भूमि
509	0.450	निजी भूमि
508	0.070	निजी भूमि
507	0.680	निजी भूमि
506	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
505	0.020	निजी भूमि
504	0.450	निजी भूमि
503/2	0.210	निजी भूमि
503/1	0.110	निजी भूमि
502	0.020	निजी भूमि
501	0.100	निजी भूमि
500/2	0.128	निजी भूमि
488	0.020	निजी भूमि
499	0.050	निजी भूमि
498	0.110	निजी भूमि
497	0.050	निजी भूमि
496	0.050	निजी भूमि
495/2	0.070	निजी भूमि
309	0.005	निजी भूमि
576	0.280	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि . . . 12.550

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) के अन्तर्गत नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु,
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकार (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 18 जुलाई 2016

क्र. 6631-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—छपारा

- (ग) ग्राम—पायली, प.ह.नं. 36
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.52 हेक्टेयर.

- (ग) ग्राम—बन (बरेला)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों—13557.65 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर	भवन स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाली भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)
312/2	0.05			
315/1	0.12			
315/2	0.06			
315/3	0.04			
52/1, 52/5	0.03	237, 238,	इमरत लोधी पुत्र नन्ने	118.24
52/2, 52/6	0.03	241, 242,	देशराज पुत्र नन्ने लोधी	117.85
52/3, 52/8	0.05	433, 456,	रमेश पुत्र देशराज लोधी	
52/4, 52/7	0.04	460, 461,	पन्ना लाल लोधी पुत्र	156.84
55	0.07	462, 464,	दुलीचंद्र	
315/5	0.03	465, 466,	मानसिंह लोधी पुत्र	46.18
		499/2, 503,	दुलीचन्द्र	
		507	मोहन लोधी पुत्र परमलाल	166.92
			कामता लोधी पुत्र परमलाल	177.06
			सुक्का लोधी पुत्र गनेशी	116.75
			हक्के लोधी पुत्र गनेशी	132.80
			बब्बू लोधी पुत्र गनेशी	134.49
			हरीराम लोधी पुत्र बब्बू	
			किशोरी लोधी पुत्र सज्जा	75.52
			सीताराम लोधी पुत्र प्यारेलाल	70.92
			मथुरा पाल पुत्र सरमन रामकिशन	215.31
			पाल पुत्र हलकाई	
			धनप्रसाद पाल पुत्र जुद्धा	89.35
			काशीराम पाल पुत्र दरूवा	219.45
			नथ्यू लोधी पुत्र मोहनलाल	129.50
			चन्द्रभान लोधी पुत्र नथ्यू	
			आत्माराम आदिवासी पुत्र भुल्ला	36.82
			भोपाली आदिवासी पुत्र भुल्ला	22.82
			मुन्नी आदिवासी पुत्र लक्ष्मना	74.21
			नन्हा आदिवासी पुत्र लक्ष्मना	42.59
			हरलाल आदिवासी पुत्र नन्हा	18.41
			हरप्रसाद आदिवासी पुत्र नन्हा	54.69
			कमल आदिवासी पुत्र मोहन	62.76
			पहलवान आदिवासी पुत्र कूटू	103.85
			दलुआ आदिवासी पुत्र कूटू	99.21
			भूरा लोधी पुत्र चुन्टी	90.68
			मुलायम सिंह पुत्र भूरा	65.20
			चुन्टी लोधी पुत्र लछुआ	44.52
			मानसिंह लोधी पुत्र रामप्रसाद	31.59
			पन्नालाल लोधी पुत्र रामप्रसाद	38.4
			घनश्याम लोधी पुत्र रामप्रसाद	28.59
			हनुमत लोधी पुत्र रामप्रसाद	39.86

कुल योग . . . 0.52

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—पुल निर्माण हेतु पहुँच मार्ग.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एम., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 23 जुलाई 2016

प्र. क्र. 02-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—घुवारा

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	खिल्लन लोधी पुत्र रामप्रसाद	45.9		दशरथ लोधी पुत्र नाथूराम लोधी	157.58
	करन लोधी पुत्र ढिल्ले	120.65		हुकुम लोधी पुत्र प्यारेलाल	69.45
	धनीराम लोधी पुत्र ढिल्ले	179.96		रामसिंह पुत्र प्यारेलाल	103.42
	फूलसिंह लोधी पुत्र हीरालाल	128.95		मल्दीबाई पत्नि खच्चा	40.00
	चतुरसिंह लोधी पुत्र हीरालाल	93.97		बाबूलाल पुत्र खच्चा	87.64
	रामसेवक लोधी पुत्र कोटी	153.61		बाबूलाल पुत्र खच्चा	87.64
	कामता लोधी पुत्र हरप्रसाद	49.08		बैनीबाई लोधी पत्नि प्यारेलाल	60.30
	सरमन लोधी पुत्र हरप्रसाद	162.28		भगवानदास पुत्र प्यारेलाल	68.40
	लक्ष्मन लोधी पुत्र हरप्रसाद	113.36		हीरालाल पुत्र कुन्ना गोवर्धन	169.30
	मानिक लाल पुत्र रथी	68.68		पुत्र हीरालाल	
	मनोज लोधी पुत्र मानिक लाल	86.45		शिवकुमार नाई पुत्र उमराव	82.16
	विनोद लोधी पुत्र मानिक लाल	86.26		काशीराम लोधी पुत्र नौना	115.20
	घन्सू आदिवासी पुत्र भूपत	44.40		विहारीलाल पुत्र शिवदयाल	86.68
	मुन्नीबाई आदिवासी वेवा हरप्रसाद	54.80		शिवदयाल पुत्र गनपत लोधी	18.17
	भूपत आदिवासी पुत्र प्यारे	41.00		रम्मोबाई वेवा गनपत लोधी	37.35
	चैना बाई पत्नि गोरेलाल आदिवासी	24.09		ब्रजेश लोधी पुत्र शिवदयाल	71.40
	बालचंद्र आदिवासी पुत्र गोरेलाल	21.12		विहारीलाल पुत्र शिवदयाल	31.54
	काशीराम आदिवासी पुत्र पोला	79.86		ब्रजेश लोधी पुत्र शिवदयाल	
	जग्गू आदिवासी पुत्र किशोरा			गोकल पुत्र दुली चन्द लोधी	90.66
	गोरेलाल आदिवासी पुत्र जग्गू			पुत्र दुलीचंद्र	
	पन्ना लाल आदिवासी पुत्र जग्गू	102.38		हरदयाल लोधी पुत्र कामता	44.94
	जमना आदिवासी पुत्र जग्गू			मोतीलाल लोधी पुत्र प्यारेलाल	103.55
	राम प्रसाद लोधी पुत्र परमलाल	131.23		गनेशी पुत्र खज्जा	109.38
	कोमल लोहार पुत्र रामदास			खड़ी लोधी पुत्र जगना	200.64
	घनश्याम लोहार पुत्र	264.72		भुजवल लोधी पुत्र ब्रजलाल	185.91
	रामदास रामचरन लोहार पुत्र			लोधी पुत्र ब्रजलाल	
	रामदास			ब्रजलाल पुत्र जगना लोधी	114.46
	बिहारी लोहार पुत्र रामदास			जगदीश पुत्र ब्रजलाल	
	जीवन लाल लोधी पुत्र नाथूराम	62.67		हीरालाल पुत्र गुल्ली लोधी	189.27
	विहारी लाल लोधी पुत्र बन्दु	204.88		दिवन पुत्र गुरी लोधी	110.25
	भैययन लोधी पुत्र जग्गू	154.53		हजारी पुत्र दिवन राकेश पुत्र	127.90
	मनोहर पुत्र भैययन लोधी	65.53		दिवन लोधी	
	घनश्याम पुत्र गनेशी लोधी	133.75		गनेशी नाई पुत्र उमराव	89.42
	चिन्तामन पुत्र गनेशी लोधी	136.75		गोकल लोधी पुत्र तुलसी	174.74
	रामकिशन पुत्र सुक्का			श्यामबाई पत्नि तुलसी	
	धर्मदास पुत्र सुक्का	111.98		लखनलाल पटैरिया पुत्र स्वामी	100.97
	भूपेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र			प्रसाद.	
	वीरेन्द्र कुमार तिवारी	118.00		राजू प्रसाद पुत्र राजाराम पटैरिया	120.98
	मोहन पाल पुत्र नन्दू	198.73		रामेश्वर पटैरिया पुत्र रामनाथ	104.63
	भोला पाल पुत्र जद्दा	140.95		शिवप्रसाद पुत्र रामनाथ	
	बालचंद्र पुत्र कोटी लोधी	191.44		बिन्द्रावन पटैरिया पुत्र रामनाथ	9.45
	अंगूरी पत्नि सूरज सिंह	78.75		अखिलेश पटैरिया पुत्र विन्द्रावन	22.68
	हरप्रसाद पुत्र भैयन	108.58		जगदीश प्रसाद पुत्र स्वामी प्रसाद	42.80
	तुलसा बाई पुत्री हरप्रसाद	18.00		सरमन आदिवासी पुत्र मर्दन	30.05
	रामदास लोधी पुत्र लछुआ	176.45		टुड़ा आदिवासी पुत्र किशोरा	46.80
				जग्गू आदिवासी पुत्र किशोरा	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
आशाराम पुत्र टुड़ा आदिवासी		41.60	राममिलन पुत्र कन्हैया अहिरवार		44.75
रामकिशन पुत्र आशाराम			संतोष पुत्र कन्हैया अहिरवार		56.59
हरलाल पुत्र टुड़ा आदिवासी		88.60	भुरिया बाई पत्नि फुलूवा अहिरवार		29.54
मनेशी पुत्र टुड़ा आदिवासी			लक्ष्मन अहिरवार पुत्र भैरों		71.94
हरीराम पुत्र गनेशी आदिवासी		20.00	राकेश अहिरवार पुत्र बाबूलाल		172.47
घनश्याम पुत्र गनेशी आदिवासी		12.96	पार्वती पत्नि बाबूलाल अहिरवार		59.40
रामदीन पुत्र मर्दन आदिवासी		45.50	सुकलाल पुत्र पंचा		44.43
राममिलन आदिवासी पुत्र सरमन		26.10	पंचा अहिरवार पुत्र मकुंदा		103.57
शिवराज आदिवासी पुत्र सरमन		35.36	तुलसीदास अहिरवार पुत्र भैरों		16.68
मुन्ना आदिवासी पुत्र मर्दन		38.00	हीरालाल पुत्र भैरों अहिरवार		
पुनियाबाई पत्नि मर्दन		13.47	तुलसीदास पुत्र भैरों अहिरवार		22.71
सोवरन पुत्र सरमन		17.51	झुत्ता अहिरवार पुत्र भैरों		17.13
गुनिया बाई बेवा मलखान		50.90	हीरालाल पुत्र भैरों अहिरवार		20.21
प्रीतम सौर पुत्र अच्छेलाल			हरबाई पत्नि भैरों अहिरवार		98.21
कामता पुत्र बुदुवा अहिरवार		46.34	रामलाल पुत्र खुमना अहिरवार		67.32
बुदुवा पुत्र भरोसा अहिरवार		50.85	हिरिया पत्नि खुमना अहिरवार		30.42
गिरधारी ऊर्फ लटकना पुत्र बुदुवा अहिरवार		121.19	खज्जू पुत्र खुमना अहिरवार		88.22
हरप्रसाद पुत्र बुदुआ अहिरवार		127.45	अर्जुन पुत्र खुमना अहिरवार		29.70
दुर्जना पुत्र उमरऊवा अहिरवार		76.35	हल्लू पुत्र खुमना अहिरवार		63.44
हीरालाल पुत्र दुर्जना अहिरवार		41.40	जालम पुत्र भुमनियां अहिरवार		111.15
लक्ष्मन पुत्र दुर्जना अहिरवार		33.06	नत्थू आहिरवार पुत्र किनौवा		24.36
गिद्धा पुत्र हल्का अहिरवार		40.29	कुटू आदिवासी पुत्र रघुवा		42.92
बारेलाल पुत्र गिद्धा अहिरवार		15.77	सुखदीन लोधी पुत्र सुनुआ लोधी		27.72
गुमना अहिरवार पुत्र गिद्धा		69.13	राजाराम लोधी पुत्र सुनुआ लोधी		
छिन्ना पुत्र काला अहिरवार		242.56	शिवकुमार नाई पुत्र उमराव		
खिल्ला पुत्र काला अहिरवार		48.14	गनेशी नाई पुत्र उमराव		50.80
बन्दू पुत्र उद्देता अहिरवार		74.19	विनोद नाई पुत्र उमराव		
गोरेलाल पुत्र उद्देता अहिरवार		94.74	प्रेमनारायण नाई पुत्र उमराव		
रामदास पुत्र अजुद्दी अहिरवार		108.89	कुल किता 164		13557.65
हरीराम अहिरवार पुत्र किनऊवा		19.53			
दस्सू बाई पत्नि किनऊवा अहिरवार		41.56	(2) बानसुजारा बाँध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम-बन्न (बरेला) के भू-अर्जन के लिए भूमि/भवनों/परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है.		
झमरत अहिरवार पुत्र किनऊवा		34.20			
शर्वता अहिरवार पुत्र भुमनिया		108.53	(3) भूमि/भवनों/परिसम्पत्तियों के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा में किया जा सकता है.		
डुर्रा पुत्र चतरा अहिरवार		22.00			
सरमन पुत्र डुर्रा अहिरवार		72.39			
गोविन्दी लाल अहिरवार पुत्र डुर्रा		72.28			
1. मानसिंह लोधी पुत्र नन्हे,		174.82			
हरीसिंह पुत्र नन्हे रूपसिंह पुत्र					
गोरेलाल आदिवासी पुत्र रघुवा		28.00			
गोरेलाल पुत्र गोरेलाल अहिरवार		19.52			
घनश्याम पुत्र गोरेलाल अहिरवार		45.57			
कन्हैया अहिरवार पुत्र भुमनियां		41.77			
राजू अहिरवार पुत्र कन्हैया		10.26			

प्र. क्र. 04-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की/सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार,

2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—घुवारा
 (ग) ग्राम एवं मजरे का नाम—सोरखी,
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि/भवनों/
 परिसंपत्तियों—36001.33 वर्गमीटर.

खसरा मजरे का नाम अर्जित किये जाने वाली
 नम्बर भवन स्वामी का नाम भूमि/भवनों/परिसंपत्तियों
 का कुल क्षेत्रफल
 (वर्गमीटर में)

(1) (2) (3)

सोरखी

960, 961,	दौलता कुशवाहा पुत्र खूदा	35.89
962, 967,	हरिराम पुत्र दौलता कुशवाहा	17.76
977, 978	प्यारेलाल पुत्र दौलता कुशवाहा	48.44
(सोरखी)	मुलुआ कुशवाहा पुत्र दौलता	17.76
	गिल्ला कुशवाहा पुत्र खूदा	118.32
	फुलुआ कुशवाहा बल्द हरपा	82.63
	हल्लू कुशवाहा बल्द फुलुआ	40.71
	मोनलाल कुशवाहा बल्द फुलुआ	29.60
	मुन्नीलाल कुशवाहा बल्द कड़ोरा	49.78
	घन्सू कुशवाहा बल्द कड़ोरा	95.84
	विरजू कुशवाहा बल्द कड़ोरा	98.04
	मुलू कुशवाहा बल्द विज्जू	32.00
	घनश्याम पाल बल्द वंशिया	183.71
	प्यारेलाल पाल बल्द वंशिया	111.61
	बारेलाल पाल बल्द वंशिया पाल	139.12
	सरजू कुशवाहा बल्द कुंजी	106.51
	साधू कुशवाहा बल्द बलदुवा	83.67
	मन्नुबाई कुशवाहा वेवा नथुवा	64.30
	किशोरी कुशवाहा बल्द नथुवा	28.80
	श्रुभु कुशवाहा बल्द भगुन्ता	53.18
	मुन्नु बाई बल्द भगुन्ता कुशवाहा	18.25
	हीरालाल लोधी बल्द अधरा	105.40
	बिहारी लोधी बल्द हीरालाल	26.25
	संतोष लोधी बल्द हीरालाल	59.11
	गौरीशंकर लोधी बल्द हीरालाल	53.20
	पुष्पेन्द लोधी बल्द हीरालाल	32.23
	ब्रज बिहारी गोस्वामी बल्द भगवानदास.	105.51

(1)

(2)

(3)

लक्ष्मीप्रसाद लोधी बल्द अधरा	146.42
नन्नीबाई पत्नि बल्ले	33.60
मोहन लोधी बल्द अधरा लोधी	121.60
विन्द्रावन लोधी बल्द नन्दी	109.60
स्वामी प्रसाद लोधी बल्द लम्पू	90.93
श्यामबाई लोधी पत्नि खुमान लोधी	147.79
सोवरन पुत्र भगुन्ता लोधी	134.51
करिया बल्द भगुन्ता लोधी	54.76
भागीरथ लोधी बल्द भगुन्ता लोधी	60.93
कमलादेवी पत्नि रामदयाल लोधी	15.81
प्रेमनारायण लोधी बल्द मोहनलाल	90.35
काशीराम खंगार बल्द नत्थू	115.54
रामलाल खंगार बल्द नत्थू	76.56
अरबिंद खंगार बल्द रामदयाल	11.40
कैलाश खंगार बल्द रामदयाल	15.30
दीपक खंगार बल्द रामदयाल	34.98
दमोदर खंगार बल्द रामदयाल	79.10
धम्मू लोधी बल्द मडुआ	65.71
बद्री प्रसाद मिश्रा बल्द प्रयागदास	83.65
सविता पत्नि मनोहर प्रसाद मिश्रा	126.84
राहुल सैन बल्द चुटू	155.24
चुटू सैन बल्द छुटियां	189.23
हलंकाई सेन बल्द छुटियां	155.44
मुन्नीलाल सेन बल्द रामला	45.41
मुकेश सेन बल्द मुन्नीलाल	17.85
रामबगस सेन बल्द रामला सेन	40.50
जगन सेन बल्द रामवगस	25.84
रमेश प्रसाद असाटी बल्द हजारीलाल.	66.53
अशोक कुमार असाटी बल्द रमेश प्रसाद.	36.31
विनोद कुमार असाटी बल्द रमेश प्रसाद.	30.80
शान्ती बाई पत्नि कूरा सैन	101.16
सगुन सिंह ठाकुर बल्द हरदेव	111.16
भानसिंह ठाकुर बल्द दुर्गसिंह	164.22
हरदेव सिंह ठाकुर बल्द दुर्गसिंह	121.85
सुकन्दी चढ़ार बल्द हजरिया	58.24
हरी राम भैयालाल, शोभ, राकेश पुत्रगण बाबू जाति रजक.	184.32
हरीराम रजक बल्द बाबू	42.23
भैयालाल रजक बल्द बाबू	56.05
देवला बाई पत्नि रामदीन	104.83
परम, खुमान, जूजन पुत्रगण, चैना चढ़ार.	185.39
सूडी चढ़ार बल्द बृजलाल	89.84

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	खज्जू चढ़ार बल्द बृजलाल	82.35		कोमल अहिरवार बल्द तिल्लू	38.25
	पप्पू चढ़ार बल्द कूरा	80.36		पुन्ना अहिरवार बल्द चिन्ना	43.37
	सोनु चढ़ार बल्द पप्पू	11.60		परसदिया बल्द चिन्ना	54.03
	मुनियाबाई पत्ति कूरा	57.57		लक्ष्मण अहिरवार बल्द तिल्लू	18.75
	कल्ला चढ़ार बल्द कूरा	123.49		सरजू अहिरवार बल्द तिल्लू	29.40
	प्रमोद चढ़ार बल्द कल्ला	33.94		बारे बल्द रखुआ	105.56
	सगुनिया बल्द हजरिया	37.70		बुद्धा बल्द सतुबा	91.38
	रघुआ चढ़ार बल्द अमना	60.65		मगन बल्द बल्दुआ	56.67
	रामदयाल बल्द दिविया	87.18		काशीराम बल्द बल्दुआ	25.84
	मुलुआ बल्द मोहना	50.32		पोला अहिरवार बल्द हल्के	36.93
	उम्दी बेवा रमलु अहिवार	77.74		सुन्दर लाल अहिरवार बल्द हल्के	37.58
	दुर्जाबाई पत्ति घुरका	64.67		सुखदीन बल्द खदकंआ	69.38
	कमतू अहिरवार बल्द कड़ोरा	94.57		बाबू बल्द खदकंआ	34.39
	झुत्तू अहिरवार बल्द जूज्जा	33.61		रमु अहिरवार बल्द खदकंआ	30.29
	कुन्नु अहिरवार बल्द जुज्जा	28.07		वित्ता अहिरवार बल्द हलकुआ	36.87
	सुखदीना अहिरवार बल्द जुज्जा	45.16		चउदा बल्द करिया	36.71
	पिरु बल्द विन्दा	41.02		भोलू बल्द परमा	50.73
	खज्जा अहिरवार बल्द टुडिया	135.38		ब्रजलाल बल्द परमा	28.64
	मुलायम बल्द खज्जा	52.00		भैयालाल बल्द लम्पू	33.68
	घसीटा बल्द हिरौआ	57.07		संतोष बल्द लम्पू	21.16
	पुन्ता बल्द टुडिया	124.60		अठइया पुत्र घसीटा अहिरवार	53.70
	भुवानी बसोर बल्द हल्कू	28.00		बल्लू पुत्र घसीटा अहिरवार	49.37
	नरेन्द्र बसोर बल्द भुवानी	36.25		शिवना पुत्र दुर्जना अहिरवार	72.03
	गुलई बल्द हल्कू	28.80		उद्देता पुत्र दुर्जना अहिरवार	50.96
	लकई बसोर बल्द लक्ष्मण	103.17		तेजराम पुत्र नन्हे अहिरवार	17.51
	नथुआ बसोर बल्द बल्दुआ	59.94		कनछेदी पुत्र मनसुका अहिरवार	138.86
	हरिराम बसोर बल्द नथुआ	16.87		मनसुखा पुत्र मन्जुआ अहिरवार	14.40
	हल्के भाई पुत्र नथुआ	16.87		बाबूलाल पुत्र हल्कू अहिरवार	83.56
	दूधलाल पुत्र हल्कू बसोर	63.10		प्यारेलाल पुत्र हल्कू	29.52
	धरमू पुत्र रत्ना अहिरवार	75.72		राजावाई पुत्र वेवा, नाथूराम	24.83
	कमला पुत्र नन्दा अहिरवार	92.73		लछुआ पुत्र भरवा	90.68
	भनीराम पुत्र कमला	67.58		नन्हीबाई पत्ति परमा अहिरवार	44.40
	रम्मा पुत्र गुरुआ अहिरवार	103.73		खिल्ला पुत्र करिया चढ़ार	100.22
	रम्मा पुत्र गुरुआ अहिरवार	38.55		जगदीश पुत्र गिलोजी	75.50
	मकुन्दा बल्द मुलुआ	25.47		बन्धू पुत्र करिया चढ़ार	91.50
	श्यामलाल बल्द गंगू	76.73		हल्कू पुत्र हज्जू	69.16
	रामस्वरुप अहिरवार बल्द भूरा	67.25		गनपत पुत्र हजरिया	55.92
	हीरालाल बल्द रखुआ	27.89		आषीश पुत्र गनपत	47.25
	झुत्तुआ बल्द रमदसा	31.38		बाबूलाल पुत्र नन्हा चढ़ार	57.73
	खुमान अहिरवार बल्द मलखू	37.24		टुन्नी पुत्र हजरिया	61.20
	कमतुआ बल्द रामदास	155.71		परसादी पुत्र टुन्नी चढ़ार	24.16
	उद्दी बाई पत्ति गुन्दी	73.27		लली पुत्र टुन्नी	24.37
	छोटेलाल बल्द नथुआ	107.84		रतीराम पुत्र टुन्नी	22.98
	मुन्नीलाल बल्द नथुआ	31.37		टूडा पुत्र अमान चढ़ार	35.08
				रतीराम पुत्र टुन्नी	22.98

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
रमलू पुत्र टूड़ा चढ़ार		47.89		तेजा पुत्र हरपा कुशवाहा	151.14
चन्दी पुत्र टूड़ा चढ़ार		36.10		हज्जू पुत्र रमुआ	23.60
हरदास पुत्र टूड़ा चढ़ार		39.65		गुल्ली पुत्र मिचुआँ	90.99
कूरा पुत्र मथरा चढ़ार		63.62		लक्ष्मण पुत्र मिचुआँ	113.85
भगवानदास पुत्र कूरा		21.28		झुतुआ पुत्र मिचुआँ	61.72
रामस्वरूप पुत्र कूरा		21.28		नन्नु कुशवाहा पुत्र मिचुआँ	84.82
माधौसिंह पुत्र देवसिंह ठाकुर		43.56		मिचुआँ कुशवाहा पुत्र हरपा	21.17
देबीसिंह पुत्र माधौसिंह		97.84		संतोष कुशवाहा पुत्र झुतुआ	6.95
राजपाल पुत्र देवीसिंह		61.32		धनीराम कुशवाहा पुत्र मिचुआँ	63.45
प्यारे जू बुन्देला पुत्र मूरत सिंह		65.63		सुखरत कुशवाहा पुत्र मिचुआँ	193.76
सुम्मेर पुत्र मूरत सिंह		87.20		लूला यादव पुत्र अजुददी हल्ले	178.11
रघुनाथ सिंह पुत्र मूरतसिंह		19.57		यादव पुत्र नन्नीलाल	
गब्बरसिंह पुत्र प्यारे जू बुन्देला		13.87		पप्पू अहिरवार पुत्र धरमुआ	39.19
रघुवीर सिंह ठाकुर पुत्र बल्देव सिंह		228.36		प्रेमबाई कुशवाहा पति हरीराम	13.68
अमान सिंह पुत्र देवीसिंह ठाकुर		128.54			
कृपाल सिंह पुत्र देवीसिंह		89.38			
नारायणदास यादव पुत्र गुट्टी		141.90			
यादव					
बीरेन्द्र पुत्र नारायणदास यादव		35.91	810, 812/1,	भागीरथ यादव पुत्र जगन्नाथ	146.14
पुष्पेन्द्र पुत्र नारायणदास यादव		35.91	812/2, 812/8,	कामता यादव पुत्र जगन्नाथ	69.04
माधौव सिंह ठाकुर पुत्र सोने जू		269.29	828, 829,	सुरेश यादव पुत्र कामता	43.17
रामप्रसाद सोनी पुत्र नंदकिशोर		87.04	835	वीरेन्द्र यादव पुत्र कामता	63.90
सोनी				कुरा यादव पुत्र नन्नु	72.90
छक्की सोनी पुत्र किशोरी सोनी		37.40		करन यादव पुत्र नन्नु	99.46
जमुना सोनी पुत्र किशोरी सोनी		51.03		रामसेवक यादव पुत्र करन	74.57
हरप्रसाद पुत्र चिनुआ नाई		58.58		हरदास यादव पुत्र पोटा	122.82
रामदयाल पुत्र चिनुआ नाई		147.84		विन्द्रावन यादव पुत्र झुतुआ	61.50
बुद्धि विश्वकर्मा पुत्र हरजुआ		118.55		वीरसिंह यादव पुत्र विन्द्रावन	89.59
लोहार				ग्यादीन यादव पुत्र झुतुआ	66.76
जानकी वाई यादव पति लक्ष्मण		74.19		मातादीन यादव पुत्र नन्ने	35.06
यादव				प्रवेश यादव पुत्र नन्ने	39.71
दयाराम नपित पुत्र मुलुआ		53.87		हरीराम यादव पुत्र जगन्नाथ	118.44
राजू असाटी पुत्र हरदास		33.96		नाथूराम विश्वकर्मा पुत्र सीताराम	144.66
जगदीश असाटी पुत्र हरदास		33.48		धरमा यादव पुत्र रज्जू	128.10
राजू असाटी पुत्र हरदास		70.18		नामी यादव पुत्र मनसूखा	98.82
धनीराम पुत्र हरदास असाटी		64.58		आत्माराम यादव पुत्र नामी	93.45
छोटेलाल असाटी पुत्र हरदास		67.21		बारेलाल यादव पुत्र सूरा	262.09
राजेन्द्र असाटी पुत्र जानकी		161.13		बाबू यादव पुत्र टीकाराम	30.62
असाटी				जगभान यादव पुत्र टीकाराम	57.82
किशोरी कुशवाहा पुत्र जग्गू		28.29		प्रकाश यादव पुत्र टीकाराम	55.50
काशीराम कुश. पुत्र जग्गू		21.17		नंदलाल यादव पुत्र रामदयाल	54.20
जग्गू काछी पुत्र टुटिया कुशवाहा		175.72		शिवराज यादव पुत्र नंदलाल	42.40
हरिराम पुत्र नन्नु कुशवाहा		19.44		गेंदा यादव पुत्र नंदलाल	27.80
छक्की पुत्र चैचू/काशीराम पुत्र		87.91		राजाराम यादव पुत्र नंदलाल	51.36
हरदयाल.				बड़े भज्जू यादव पुत्र नंदलाल	39.90
				किशोरी यादव पुत्र कुंजी	62.74

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
राजेश यादव पुत्र किशोरी		92.16	रामेश्वर यादव पुत्र जयराम		28.20
पवन यादव पुत्र किशोरी		91.08	अजुद्दी यादव पुत्र मलथा		41.91
गोपाल यादव पुत्र जबरा		38.90	पप्पू यादव पुत्र अजुद्दी		54.00
रामस्वरूप यादव पुत्र नन्ने		25.40	सैलू यादव पुत्र अजुद्दी		37.00
श्रीमती सुहाग बाई यादव पति नन्ने		16.12	सोबरन यादव पुत्र अजुद्दी		32.78
पंखुबा यादव पुत्र जबरा		55.80	नत्थू यादव पुत्र गुमान		93.24
ब्रजलाल यादव पुत्र पंखुआ		19.94	कमलेश यादव पुत्र नत्थू		102.76
चुखरा यादव पुत्र पंखुवा		26.80	शीलचन्द्र यादव पुत्र नत्थू		100.83
लल्लन यादव पुत्र पंखुआ		39.52	रमेश यादव पुत्र हीरालाल		120.25
रवि यादव पुत्र लल्लन		23.54	हीरालाल यादव पुत्र रासू		36.97
आशाराम यादव पुत्र पोटा		26.50	मनोहर यादव पुत्र हीरालाल		113.42
नन्दराम यादव पुत्र आशाराम		43.04	छोटेलाल यादव पुत्र हीरालाल		44.29
देवी प्रसाद यादव पुत्र आशाराम		42.90	रामप्रकाश यादव पुत्र हीरालाल		64.25
प्रकाश यादव पुत्र आशाराम		38.34	श्रीमती पान बाई यादव पत्नी तिजुआ		45.40
प्रेमलाल यादव पुत्र आशाराम		27.70	हरचरण यादव पुत्र वारेलाल		147.41
शोभाराम यादव पुत्र पोटा		104.48	जगदीश यादव पुत्र रतीराम		74.25
श्रीमती रामकुंवर यादव पत्नि		127.04	मुन्नालाल यादव पुत्र रतीराम		87.85
सुखदीन			संतोष यादव पुत्र रतीराम		34.65
धनीराम यादव पुत्र पोटा		141.51	परमलाल यादव पुत्र टुण्डे		48.34
काशीराम यादव पुत्र मनसुका		119.30	नन्दू यादव पुत्र टुण्डे		79.03
कन्हैया यादव पुत्र नामी		69.78	रतीराम यादव पुत्र टुण्डे		113.74
पूरन यादव पुत्र धरमा		31.21	कामता प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र		42.26
गोपी यादव पुत्र धरमा		33.54	हरप्रसाद		
राममिलन यादव पुत्र धरमा		46.35	मुन्नालाल विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद		111.54
बाबूलाल यादव पुत्र जगन्नाथ		158.32	शोभाराम विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद		22.12
लखनलाल यादव पुत्र बाबूलाल		31.99	गुन्चे लाल विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद		23.43
राकेश यादव पुत्र बाबूलाल		31.99	राजेश विश्वकर्मा पुत्र गुन्चेलाल		10.75
श्रीमती प्यारीबाई पत्नि नन्नु यादव		151.65	हल्लू विश्वकर्मा पुत्र हरप्रसाद		42.26
दयाराम यादव पुत्र जगन्नाथ		72.67	रामसेवक यादव पुत्र मोहनलाल		63.12
अशोक यादव पुत्र दयाराम		42.22	गोरेलाल यादव पुत्र मोहनलाल		44.16
तिल्ला यादव पुत्र राम दयाल		60.40	राकेश यादव पुत्र गोरेलाल		35.88
कुटई यादव पुत्र राम दयाल		60.40	चन्द्रभान यादव पुत्र गोरेलाल		18.49
राजू यादव पुत्र भगुन्ती		40.70	नीरज यादव पुत्र गोरेलाल		18.49
सुरेन्द्र यादव पुत्र राजू		88.23	मोहनलाल उर्फ नन्ना यादव पुत्र		18.50
राजेन्द्र यादव पुत्र राजू		100.64	मलखान		
प्यारेलाल यादव पुत्र भगुन्ती		173.63	मिहीलाल पुत्र मोहनलाल		45.82
मुन्ना यादव पुत्र बारेलाल		134.91	प्रवेश यादव पुत्र मिहीलाल		34.44
करई बाई यादव पत्नि बारेलाल		78.96	हल्के भैया यादव पुत्र मोहनलाल		77.14
रघुवीर यादव पुत्र बारेलाल		40.39	शोभाराम यादव पुत्र वारेलाल		68.27
रामदयाल यादव पुत्र रनजीत		97.46	शीलेन्द्र यादव पुत्र शोभाराम		37.45
श्रीमती सरजू बाई यादव पत्नि		30.18	बाबूलाल यादव पुत्र बारेलाल		80.96
रनजीत			मुकेश यादव पुत्र बाबूलाल		67.09
कालीचरण यादव पुत्र गरीबा		73.68	ब्रजेश यादव पुत्र बाबूलाल		23.66
गनेश यादव पुत्र जयराम		46.12	रामकिशन यादव पुत्र जयराम		93.12
बलदीन यादव पुत्र जयराम		73.40	भुल्लन यादव पुत्र टीकाराम		83.30

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
भगवानदास यादव पुत्र बारेलाल		80.72	सुरेश अहिरवार पुत्र नबला		17.77
गोवर्धन यादव पुत्र भगवानदास		32.39	सूरीबाई पत्नि तांतू		26.27
कैलाश यादव पुत्र भगवानदास		39.48	छन्दू अहिरवार पुत्र बसन्ता		28.86
कन्हैयालाल प्रजापति पुत्र मुल्ली		35.33	मनू पुत्र छन्दू अहिरवार		29.75
जय किशोर प्रजापति पुत्र कन्हैयालाल		37.87	देशराज पुत्र छन्दू अहिरवार		24.10
हीरालाल प्रजापति पुत्र कन्हैयालाल		41.27	गुरी पुत्र छन्दू अहिरवार		26.66
जयराम यादव पुत्र कलू		57.54	भन्ती अहिरवार पत्नि गुन्दी		37.84
रामफली प्रजापति पुत्र धधुवा		126.50	आशाराम आदिवासी पुत्र चिनुआ		58.97
महेश प्रजापति पुत्र रामफली		36.27	पंखू आदिवासी पुत्र चिनुआ		67.58
पंगगा अहिरवार पुत्र सतुवा		27.88	गोकल आदिवासी पुत्र सनुआ		75.52
मंजू अहिरवार पुत्र पंगगा		48.18	ग्यासी आदिवासी पुत्र सनुआ		68.49
प्रकाश अहिरवार पुत्र पंगगा		30.60	जनकिया आदिवासी पुत्र दिविया		44.40
अखिलेश अहिरवार पुत्र पंगगा		13.60	लखनलाल पुत्र जनकिया आदिवासी		25.34
सुन्ना अहिरवार पुत्र सतुवा		21.45	लक्ष्मन पुत्र जनकिया आदिवासी		48.45
रुकमन प्रजापति पुत्र धधुवा		18.56	पहलाद आदिवासी पुत्र गोकल		55.20
गनेशा प्रजापति पुत्र धधुआ		43.68	खचौरी आदिवासी पुत्र ठलुआ		31.40
गनपति प्रजापति पुत्र धधुआ		72.96	भगवानी आदिवासी पुत्र नन्दा		22.68
रामदयाल प्रजापति पुत्र धधुआ		67.15	खुमनी बाई आदिवासी पत्नि		9.66
आशाराम यादव पुत्र कसिया		124.88	रामचरण		
प्रेमलाल यादव पुत्र आशाराम		245.21	सुखदीन आदिवासी पुत्र पुन्ना		35.16
स्वामी प्रसाद यादव पुत्र लुला		209.18	नन्दी आदिवासी पुत्र मरियां		88.16
कन्हैयालाल यादव पुत्र स्वामी		97.04	गनुआ आदिवासी पुत्र नन्दी		11.10
प्रसाद			कमला आदिवासी पुत्र बौरा		32.63
सुकरत यादव पुत्र रामचरण		60.41	काशीराम आदिवासी पुत्र चिनुआ		7.95
लखनलाल यादव पुत्र सुकरत		53.60	संतोष आदिवासी पुत्र काशीराम		29.23
लखनलाल यादव पुत्र भागचन्द्र		204.38	बीरन पुत्र काशीराम आदिवासी		16.23
गिल्ला यादव पुत्र जुग्गा		155.90	ग्लोजी आदिवासी पुत्र चिनुआ		12.47
बबलू यादव पुत्र मोतीलाल		116.34	मूलचन्द्र आदिवासी पुत्र आशाराम		24.96
कीरत यादव पुत्र मोतीलाल		152.36	चिरोँजी बाई पति चिनुआ आदिवासी		18.62
मोतीलाल यादव पुत्र पल्लू		13.77	ब्रजलाल आदिवासी पुत्र नन्नु		36.79
रामदेवी यादव पत्नि महेन्द्र		64.95	परमलाल आदिवासी पुत्र ब्रजलाल		84.78
रामाधीन यादव पुत्र मोतीलाल		47.40	मकुन्दी आदिवासी पुत्र परमा		54.16
पुष्पेन्द्र यादव पुत्र रामाधीन		74.02	रामकिशन आदिवासी पुत्र कुनउवा		26.86
गुरू यादव पुत्र जुग्गा		116.88	जनकिया आदिवासी पुत्र रजउवा		24.42
हरीशंकर यादव पुत्र सुकरत		117.05	धुन्ना आदिवासी पुत्र रजउवा		24.15
भरत यादव पुत्र मोतीलाल		107.83	धनीराम आदिवासी पुत्र जनकिया		26.86
बसोरा अहिरवार पुत्र पुल्ला		27.17	दुर्गेश आदिवासी पुत्र जनकिया		21.17
बदई अहिरवार पुत्र बसोरा		78.67	गनेश आदिवासी पुत्र जनकिया		21.17
बब्बू अहिरवार पुत्र बसोरा		22.78	झनू बाई पत्नि कुनउवा		50.68
खरगा अहिरवार पुत्र बसोरा		27.17	सुकरत आदिवासी पुत्र कुनउवा		23.07
हल्काई अहिरवार पुत्र बसोरा		39.71	बुदुआ आदिवासी पुत्र परमा		37.44
नबला अहिरवार पिता लटकना		28.21	धन्सू आदिवासी पुत्र छत्ता		36.23
बब्दूलाल अहिरवार पुत्र नबला		34.50	विनोद पुत्र धन्सू आदिवासी		43.42
बब्बूलाल अहिरवार पुत्र नबला		55.29	ठलुआ आदिवासी पुत्र परमा		67.00
भागीरथ अहिरवार पुत्र नबला		17.77			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	मुन्ना आदिवासी पुत्र ठलुआ	33.49		मुलुवा यादव पुत्र भैय्यन	51.57
	करिया आदिवासी पुत्र परमा	42.85		हल्के प्रसाद पुत्र मुलुवा	94.83
	कोहलिया आदिवासी पुत्र मरिया	88.66		हल्के भाई यादव पुत्र मुलुवा	48.60
	कमतू आदिवासी पुत्र पुन्ना	36.38		धनीराम यादव पुत्र मुलुवा	33.11
	सुरेश पुत्र कमतू आदिवासी	21.75		राधाचरण यादव पुत्र मुलुवा	47.31
	राजेश पुत्र कमतू आदिवासी	24.85		राजाराम यादव पुत्र मुलुवा	24.40
	रामचरण आदिवासी पुत्र पुन्ना	39.76		विजय पुत्र मुलुवा	323.11
	धनीराम पुत्र रामचरण आदिवासी	29.12		मुलुवा पुत्र भैयन	
	सजन पुत्र रामचरण आदिवासी	45.20		हल्केप्रसाद पुत्र मुलुवा	
	पप्पू आदिवासी पुत्र लम्पुआ	40.41		हल्के भाई पुत्र मुलुवा	
	दमरू पुत्र पप्पू आदिवासी	39.81		धनीराम पुत्र मुलुवा	
	रामकुमार आदिवासी पुत्र प्यारेलाल	56.45		राधाचरण पुत्र मुलुवा	
	खुमान आदिवासी पुत्र भग्गू	95.87		राजाराम पुत्र मुलुवा	
	कन्हैया लाल आदिवासी पुत्र खुमान	36.40		1. रम्बूबाई यादव वेबा मोनलाल	
	मलखान आदिवासी पुत्र बन्दुआ	41.92		2. लरकू यादव पुत्र मोनलाल	
	कमतू पुत्र मलखान आदिवासी	30.38		3. रूचन यादव पुत्र मोनलाल	238.91
	अच्छेलाल आदिवासी पुत्र कमतू	35.09		4. बन्दू यादव पुत्र मोनलाल	
	राजू आदिवासी पुत्र मलखान	27.47		कूरा अहिरवार पुत्र मुलुआ	182.79
	नाटनखेरा			1. रामलाल यादव पुत्र पिरवा	
1178, 1179,	प्रतिपालसिंह बुन्देला पुत्र	271.53		2. बन्दू पुत्र रामलाल	66.94
1182, 1407,	बल्देव सिंह			3. छोटे यादव पुत्र रामलाल	
1408, 1409/1,	गोविन्द सिंह बुन्देला पुत्र	221.52		1. बाबूलाल यादव पुत्र प्यारेलाल	
1412, 1413	बल्देव सिंह			2. मुलुआ यादव पुत्र प्यारेलाल	278.43
	केहरसिंह बुन्देला पुत्र बल्देव सिंह	180.83		3. राजेश यादव पुत्र मुलुआ	
	इंद्रपाल सिंह बुन्देला पुत्र	228.82		4. सुखसाव यादव पुत्र मुलुआ	
	बलदेव सिंह			1. परमलाल यादव पुत्र प्यारेलाल	
	रजनी राजा बुन्देला पत्नि चंद्रपाल	17.30		2. भगवानदास यादव पुत्र परमलाल	76.76
	रूपकुंवर बुन्देला पत्नि बल्देवसिंह	17.34		3. महेश यादव पुत्र परमलाल	
	अर्जुन यादव पुत्र मोहन	36.80		रामचरण यादव पुत्र गुट्टी	211.21
	जमना प्रसाद यादव पुत्र अर्जुन	97.25		भवूदी लाल यादव पुत्र अर्जुन	147.54
	मुन्ना यादव पुत्र अर्जुन	112.54		काशीराम यादव पुत्र गोकल	173.58
	जिमी यादव पुत्र प्यारेलाल	98.57		पप्पू अहिरवार पुत्र धरमुवा	194.58
	बालकिशन यादव पुत्र धर्मदास	48.20		राजू अहिरवार पुत्र तत्तू	18.27
	रामकिशन यादव पुत्र धर्मदास	55.65		हरचरण अहिरवार पुत्र तत्तू	36.96
	लल्ला यादव पुत्र प्यारेलाल	46.75		संतोष अहिरवार पुत्र तत्तू	18.28
	1. रामदयाल यादव पुत्र मोहन	209.34		पचरनखेरा	
	2. हल्कू यादव पुत्र मोहन		648/2, 650,	फूलबाई यादव वेवा छनू	80.72
	पप्पू यादव पुत्र नन्दू	134.63	651, 652,	अर्जुन यादव पुत्र छनू	112.43
	कन्हैया लाल यादव पुत्र प्यारेलाल	22.89	653	पन्नालाल यादव पुत्र छनू	87.90
	सुकन यादव पुत्र कन्हैया	69.86		हरपा यादव पुत्र नथुवा	134.89
	गोपी यादव पुत्र कन्हैया	47.21		पंचम यादव पुत्र हरपा	113.89
	लखन यादव पुत्र गोकल	137.05		रमेश प्रसाद यादव पुत्र हरपा	103.22
	1. विजय यादव पुत्र मुलुवा	129.60		दिनेश यादव पुत्र हरपा	60.34
	2. जागेश्वर यादव पुत्र विजय			1. बृषभान यादव पुत्र करन	48.93
	टूडा यादव पुत्र नन्हे भैया	21.60		2. संतोष यादव पुत्र करन	

(1)	(2)	(3)
	हरचरन यादव पुत्र करन	76.00
	रहीश यादव पुत्र करन	40.04
	सरियां यादव पुत्र गणेश यादव	97.50
	रोशन यादव पुत्र सरियां	77.01
	दूधलाल यादव पुत्र गट्टी	172.38
	भजनलाल यादव पुत्र दूधलाल	
	छुट्टी यादव पुत्र गजाधर	25.38
	घंसू यादव पुत्र छुट्टी	94.08
	हल्केभैया यादव पुत्र छुट्टी	
	गनपत यादव पुत्र छुट्टी	41.25
	1. रतीराम यादव पुत्र कुन्नु	
	2. गोरेलाल यादव पुत्र कुन्नु	
	3. जयराम यादव पुत्र कुन्नु	755.31
	4. श्रीराम यादव पुत्र कुन्नु	
	सुन्दर यादव पुत्र रतीराम	65.25
	परमानन्द यादव पुत्र गोरेलाल	42.24
	दिनेश यादव पुत्र गोरेलाल	17.94
	1. झुतुआ यादव पुत्र दिलगा	
	2. जुजा यादव पुत्र झुतुआ	53.68
	1. रामेश्वर यादव पुत्र झुतुआ	
	2. राकेश यादव पुत्र झुतुआ	41.58
	राजाराम यादव पुत्र प्यारेलाल	102.65
	मुन्नालाल यादव पुत्र राजाराम	50.24
	डेलाराम यादव पुत्र राजाराम	47.79
	विन्द्रावन यादव पुत्र राजाराम	73.40
	धनीराम यादव पुत्र पुन्ता	109.71
	मोखराबाई उर्फ धन्धु वेवा पुन्ता	57.15
	प्रकाश यादव पुत्र धनीराम	73.40
	मकुेश यादव पुत्र धनीराम	98.64
	1. मुन्नीलाल यादव पुत्र विन्द्रावन	
	2. जगभान यादव पुत्र मुन्नीलाल	489.31
	3. हरीराम यादव पुत्र मुन्नीलाल	
	4. सरूपा यादव पुत्र मुन्नीलाल	
	चिन्ता यादव पुत्र छुट्टी	148.26
	1. ठाकुरदास पुत्र दूधलाल	
	2. दुलीचंद्र यादव पुत्र दुधलाल	152.60
	3. भरतलाल यादव पुत्र इधलाल	
	जगदीश यादव पुत्र झुतुवा	75.75
	रामेश्वर यादव पुत्र झुतुआ	41.00
	करन यादव पुत्र गनेशा	162.82
	कुल योग	36001.33

(2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम-सोरखी के भू-अर्जन के लिए भूमि/भवनो/परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है.

(3) भूमि/भवनो/परिसम्पत्तियों के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बडामलहरा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि /भवनो/परिसम्पत्तियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि/भवनो/परिसम्पत्तियों की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—घुवारा
(ग) ग्राम—सरकना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भवनो/परिसंपत्तियों—20919.88 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	मजरे का नाम भवन स्वामी का नाम	अर्जित किये जाने वाली भूमि/भवनो/परिसंपत्तियों का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)

अछेलनखेरा

110,111,	रेडा यादव पुत्र प्यारेलाल	57.28
	नत्थू यादव पुत्र रेडा	39.50
	भूपत यादव पुत्र रेडा	27.05
	मकुन्दी यादव पुत्र प्यारेलाल	113.28
	शिमबू यादव पुत्र प्यारेलाल	32.12
	हरीशाचंद्र यादव पुत्र मुकुन्दी	39.80
	गनेशी यादव पुत्र प्यारेलाल	57.50
	जगदीश यादव पुत्र प्यारे	91.50
	चुटू यादव पुत्र बन्दू	116.45
	जुगलकिशोर यादव पुत्र चुटू	80.52
	परमलाल यादव पुत्र वन्दू	73.05
	मुलायमसिंह यादव पुत्र परमलाल	44.69
	हरदास यादव पुत्र भरोसे	45.37
	हरीराम यादव पुत्र हरदास	136.35
	मोतीलाल यादव पुत्र किशोरा	354.88
	धनीराम यादव पुत्र किशोरा यादव	
	लल्ला यादव पुत्र बालचंद्र	129.36
	सुन्दर यादव पुत्र भरोसा	134.96
	सुषमा यादव वेवा रामेश्वर	103.22

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	जागेश्वर यादव पुत्र सुन्दर	111.71		1. तुलसीदास लोधी पुत्र भगवानदास	
	कल्लू यादव पुत्र नदूआ	104.34		2. ठकुरदास लोधी पुत्र भगवानदास	87.82
	फूलसिंह यादव पुत्र कल्लू	51.69		3. संतोष कुमार लोधी पुत्र भगवानदास	
	सीताराम यादव पुत्र कल्लू	58.27		ठाकुरदास लोधी पुत्र भगवानदास	35.16
	मुन्नी यादव पुत्र नदुआ	31.44		रामप्रसाद लोधी पुत्र काशीराम	20.80
	नदुआ यादव पुत्र सरमन	27.28		भैयालाल खंगार पुत्र मटुआ	24.19
	दुर्गादास यादव पुत्र मुन्नीलाल	26.98		रन्तू खंगार पुत्र मटुआ	36.74
	मानसिंह यादव पुत्र मुन्नीलाल	46.50		भागीरथ खंगार पुत्र रन्तू	42.84
	राजकुमार यादव पुत्र मुन्नीलाल	54.38		कमला खंगार पुत्र मटुआ	33.97
	गोविन्दी यादव पुत्र नदुआ	73.05		भगवानदास लोधी पुत्र प्यारे	21.25
	हरीसिंह यादव पुत्र गोविन्दी	42.57		रूपसिंह लोधी पुत्र झल्लू	79.27
	राजाराम यादव पुत्र गोविन्दी	54.66		हल्का लोधी पुत्र कामते	79.12
	कलिया बाई यादव पति गोरेलाल	53.46		धरम लोधी पुत्र कामते	54.74
	ब्रजलाल यादव पुत्र बन्दु	60.01		छोटेला लोधी पुत्र धरम	15.39
	ठाकुरदास यादव पुत्र ब्रजलाल	107.59		भागीरथ लोधी पुत्र कामते	90.79
	काशीराम यादव पुत्र ब्रजलाल	84.35		कामते लोधी पुत्र प्यारे	25.18
	महादेव यादव पुत्र हरदास	73.65		कोमल लोधी पुत्र झल्लू	80.89
	इमरत यादव पुत्र महादेव	63.63		झल्लू लोधी पुत्र प्यारे	16.34
	तुलसीदास यादव पुत्र महादेव	34.13		दयाराम लोधी पुत्र झल्लू	60.75
	प्रेमलाल यादव पुत्र पंखे	72.91		राजाराम लोधी पुत्र झल्लू	70.75
	रामसहाय यादव पुत्र पंखे	53.10		विन्द्रावन लोधी पुत्र झल्लू	69.56
	श्रीराम यादव पुत्र प्रेमलाल	82.38		सोवरन लोधी पुत्र हीरालाल	70.93
	राजेश यादव पुत्र शिब्बा	84.11		संतोष खंगार पुत्र भैयालाल	74.88
	स्वामी यादव पुत्र भवूदी	20.25		भुन्नालाल खंगार पुत्र मटुवा	82.55
	मुकेश यादव पुत्र स्वामी	35.28		1. देवीदास खंगार पुत्र कमला	90.57
	दिनेश यादव पुत्र स्वामी यादव	9.13		2. राजू खंगार पुत्र कमला	
	इन्द्रपाल यादव पुत्र स्वामी यादव	27.28		हरीराम खंगार पुत्र रन्तू	74.48
	कुंजीलाल यादव पुत्र भवूदी	96.36		बाबाखेरा	
	भगवानदास यादव पुत्र परमलाल	67.74	1234/1	हरदास उर्फ फूला यादव	64.68
	कमलेश यादव पुत्र चट्टू	39.92		पुत्र मलखू	
	मजखेरा			पुनियां बाई यादव वेवा मलखू	7.93
220/5	किशोरी लोधी पुत्र रमललिया	93.41		अखिलेश यादव पुत्र हरदास	46.65
	हल्के लोधी पुत्र रमललिया	26.05		राजेश यादव पुत्र हरदास	46.36
	लरबू लोधी पति रमललिया	23.98		दिनेश यादव पुत्र हरदास	32.94
	काशीराम लोधी पुत्र रमललिया	59.64		चंद्रभान यादव पुत्र दादा	88.11
	1. पूरन लोधी पुत्र राजाराम,			राकेश यादव पुत्र चंद्रभान	70.52
	2. चिन्तामन लोधी पुत्र राजाराम	122.63		रामरतन यादव पुत्र चंद्रभान	82.51
	3. हरगोविन्द लोधी पुत्र राजाराम			वाले यादव पुत्र रिल्ली	22.80
	ऊदल लोधी पुत्र भुज्जू	155.71		जुगल यादव पुत्र दादा	76.21
	जगन्नाथ लोधी पुत्र कलुआ	25.20		रूपेश यादव पुत्र जुगल	85.17
	कलुआ लोधी पुत्र भुज्जू	145.04		महेन्द्र यादव पुत्र जुगल	90.52
	हरप्रसाद लोदी पुत्र कलुआ	83.03		सोवत यादव पुत्र सुकैया	124.15
	बहोरा लोधी पुत्र भुज्जू	113.46		रामकृपाल यादव पुत्र सोवत	70.55
				देवेन्द्र यादव पुत्र सोवत	40.06
				भैयाराम यादव पुत्र बलदुआ	80.15

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
	रमेश यादव पुत्र बल्दुआ	42.35		मनोहर अहिरवार पुत्र कमला	52.58
	पुष्पेन्द्र यादव पुत्र रमेश	47.84		ऊदल अहिरवार पुत्र मलखू	54.96
	बीरन यादव पुत्र रमेश	58.95		कोमल अहिरवार पुत्र मलखू	90.63
	रविन्द्र यादव पुत्र रमेश	61.62		मुन्नीलाल अहिरवार पुत्र	426.63
	बल्दुआ यादव पुत्र दिविया	21.28		कन्हैयालाल	
	लल्लू यादव पुत्र बल्दुआ	153.96		रामप्रसाद अहिरवार पुत्र किशर	32.23
	सूका यादव पुत्र मलखू	57.33		दिनेश अहिरवार पुत्र किशर	47.42
	गोपाल यादव पुत्र सूका	43.15		खज्जू अहिरवार पुत्र कन्हैयालाल	114.07
	राजेन्द्र यादव पुत्र सूका	66.05		प्रेमलाल पुत्र खज्जू भाग सम	
	रघुनाथ यादव पुत्र विन्द्रावन	82.05		जगन्नाथ अहिरवार पुत्र खज्जू	87.57
	गनेशी यादव पुत्र विन्द्रावन	21.72		मुकेश अहिरवार पुत्र चरण लाल	66.94
	मौनलाल यादव पुत्र विन्द्रावन	46.36		रामस्वरूप अहिरवार पुत्र कुरू	59.88
	मोहनलाल यादव पुत्र विन्द्रावन	61.63		खरगी अहिरवार बेबा चरणलाल	50.97
	मुलायमसिंह यादव पुत्र मोहनलाल	21.37		गोरेलाल अहिरवार पुत्र कुरू	89.75
	छीता यादव वेवा विन्द्रावन	21.37		हीरालाल अहिरवार पुत्र हल्लू	90.65
	जगन यादव पुत्र विन्द्रावन	20.32		पूरन अहिरवार पुत्र मटुआ	133.29
	हीरालाल यादव पुत्र अपरबल	56.61		प्यारेलाल अहिरवार पुत्र हल्लू	144.96
	बलराम यादव पुत्र हीरालाल	71.95		जगमोहन अहिरवार पुत्र हल्लू	46.73
	1. हरीराम यादव पुत्र रामचरण			विज्जू अहिरवार पुत्र परसादी	123.80
	2. ठाकुरदास यादव पुत्र हरीराम			परसू अहिरवार पुत्र टुडा	100.76
	3. जगदीश यादव पुत्र हरीराम	329.61		नन्दलाल अहिरवार पुत्र टुडा	110.03
	4. रामलाल यादव पुत्र हरीराम			परसदिया अहिरवार पुत्र झलुआ	169.24
	5. लक्ष्मण यादव पुत्र हरीराम			प्यारे लाल अहिरवार पुत्र झलुआ	101.81
	सियाबाई यादव पुत्री धनश्याम	173.86		दरूआ अहिरवार पुत्र कन्हैया	64.00
	निरपत यादव पुत्र लक्ष्मण	45.14		हरिराम अहिरवार पुत्र दरूआ	102.97
	हीरापुर			परमलाल अहिरवार पुत्र दरूआ	27.64
308, 309,	जुगलकिशोर अहिरवार पुत्र बुद्धा	24.34		रामसेवक अहिरवार पुत्र किशर	24.36
310, 311,	रामप्रकाश अहिरवार पुत्र बुद्धा	29.26		तिजुआ अहिरवार पुत्र दौलता	176.78
312, 435/1	झुल्ला लाल अहिरवार पुत्र बुद्धा	21.56		शुबना अहिरवार पुत्र हल्का	16.18
	करिया अहिरवार पुत्र हल्लू	124.37		गंगुवा अहिरवार पुत्र हल्का	36.83
	भगवानदास अहिरवार पुत्र मटुआ	87.34		हिम्मत अहिरवार पुत्र गंगू	59.95
	मोहन अहिरवार पुत्र बुद्धा	44.30		कालीचरण अहिरवार पुत्र गंगू	100.45
	जमुना अहिरवार पुत्र बुद्धा	41.53		लम्बरदार अहिरवार पुत्र गंगू	24.72
	चुन्नी अहिरवार पुत्र बुद्धा	23.71		गोविंद अहिरवार पुत्र गंगू	24.72
	बुद्धा अहिरवार पुत्र जोरावर	30.40		खुमना अहिरवार पुत्र झलुआ	106.33
	हरदास अहिरवार पुत्र भरवा			तिलैया अहिरवार पुत्र मलखू	33.30
	राजेन्द्र अहिरवार पुत्र हरदास	83.57		जगदीश अहिरवार पुत्र जुजवा	113.07
	चिन्ता अहिरवार पुत्र हरदास			रमसिंगा अहिरवार पुत्र जुजवा	128.91
	जन्तू अहिरवार पुत्र हल्लू	242.29		भगवानदास पुत्र सुल्ली अहिरवार	119.14
	घन्शू अहिरवार पुत्र हल्लू			भूरा अहिरवार पुत्र रामचरण	96.50
	जगदीश अहिरवार पुत्र भगुन्ता	68.30		रामचरण अहिरवार पुत्र गनुआ	
	लक्ष्मण अहिरवार पुत्र भगुन्ता	50.81		भैय्यन बंशकार पुत्र गुमना	8.19
	कमला अहिरवार पुत्र लम्पू	74.02		नुनू बुंशकार पुत्र भैय्यन	8.19
	रामदास अहिरवार पुत्र कमला	45.15		गौरीशंकर बंशकार पुत्र भैय्यन	8.19
				राजकुमार बंशकार पुत्र भैय्यन	8.19

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
किशोरा बंशकार पुत्र गुमना		11.22	रामचरन लोधी पुत्र घसीटा		149.85
बंदु बंशकार पुत्र कशोरा		17.38	भगवानदास लोधी पुत्र भोलू		37.05
जीवन बंशकार पुत्र बंदू		11.22	रमेश लोधी पुत्र भगवानदास		53.12
जानकी खंगार पुत्र धूराम		43.26	लम्पू ढीमर पुत्र कमतुआ		93.89
जमना खंगार पुत्र धूराम		54.31	लक्ष्मण ढीमर पुत्र लम्पू		52.56
राजेश खंगार पुत्र जमना		33.66	धनीराम लोधी पुत्र भोलू		94.66
खिल्लन खंगार पुत्र धूराम		76.85	करनसिंह लोधी पुत्र भोलू		135.61
लखन खंगार पुत्र धूराम		69.18	भगुन्ता ढीमर पुत्र कमतुआ		149.90
ठाकुरदास असाटी पुत्र दयाराम		65.50	तेजराम ढीमर पुत्र पलुआ		153.43
गोरेलाल लोधी पुत्र गोकल		198.34	अजुद्दी ढीमर पुत्र मनका		117.57
ऊदल लोधी पुत्र गोकल		48.75	प्रकाश ढीमर पुत्र अजुद्दी		39.92
राजाराम लोधी पुत्र ऊदल		37.60	सुन्ना ढीमर पुत्र जलमा		102.03
दुर्गादास लोधी पुत्र ऊदल		115.94	हल्कू ढीमर पुत्र जलमा		72.11
प्रेमचंद लोधी पुत्र ऊदल		80.56	चैना ढीमर पुत्र जलमा		101.56
हरदास लोधी पुत्र बसोरा		59.95	बारेलाल ढीमर पुत्र कमतुआ		61.81
भागीरथ लोधी पुत्र बसोरा		71.03	भोलू लोधी पुत्र रमला		29.62
ब्रजलाल लोधी पुत्र बसोरा		70.72	जमना लोधी पुत्र भोलू		103.63
मोतीलाल लोधी पुत्र बसोरा		72.60	प्रीतम लोधी पुत्र जमना		25.31
हीरालाल खंगार पुत्र सन्तु		288.56	प्यारेलाल ढीमर पुत्र भगुन्ता		46.92
हरीराम खंगार पुत्र गिरधारी		83.03	हरचरन असाटी पुत्र बन्दू		193.91
सूरज खंगार पुत्र हरीराम		32.40	लक्ष्मीप्रसाद असाटी पुत्र बन्दू		
विन्द्रावन खंगार पुत्र भभूदी		55.23	हल्कू लोधी पुत्र जोरावल		59.95
हरलाल खंगार पुत्र गिरधारी		138.30	इमरत लोधी पुत्र हल्कू		82.42
राकेश खंगार पुत्र भभूदी		46.91	लक्ष्मण लोधी पुत्र हल्कू		54.35
भभूदी खंगार पुत्र सन्तु		89.38	अनन्दी लोधी पुत्र हलकू		48.31
नंदकिशोर खंगार पुत्र भभूदी		70.24	लखनलाल असाटी पुत्र दयाराम		
जगना खंगार पुत्र नाथूराम		87.71	जगदीश असाटी पुत्र दयाराम		152.40
सुखदीन खंगार पुत्र नाथूराम		65.68	मुन्नीलाल असाटी पुत्र दयाराम		
शांतिबाई खंगार पत्नि नाथूराम		35.49	धूराम लोधी पुत्र महादेव		150.99
कोमल खंगार पुत्र नाथूराम		72.39	संतोष असाटी पुत्र हरप्रसाद		
नदुआ लोधी पुत्र हलका		82.95	श्यामलाल असाटी पुत्र हरप्रसाद		118.44
सूखा लोदी पुत्र हलका		65.65	रामप्रकास असाटी पुत्र हरप्रसाद		
हलका लोधी पुत्र अदधू		24.35	रामसेवक असाटी पुत्र सुखदीन		29.23
पुष्पेन्द्र लोदी पुत्र हलका		87.06	भगवानदास असाटी पुत्र सुखदीन		44.96
काशीराम लोधी पुत्र हलका		75.88	रामस्वरूप असाटी पुत्र सुखदीन		24.88
धनीराम लोधी पुत्र हलका		42.37	गंगाराम असाटी पुत्र सुखदीन		20.94
वीरन लोधी पुत्र धनीराम		45.67	राकेश असाटी पुत्र सुखदीन		47.69
हरदास लोधी पुत्र घसीटा		203.79	प्रेमनारायण असाटी पुत्र सुखदीन		25.71
सहुदिया लोधी पत्नि घसीटा		15.44	1. मोती ढीमर पुत्र टेड़ा		86.25
रामवगश लोधी पुत्र घसीटा		147.34	2. टेड़ा ढीमर विज्जू भागसम		
बहुदिया लोधी पत्नि अच्छेलाल		84.97			

(1)	(2)	(3)
	चैना ढीमर पुत्र जलमा	
	टेड़ा ढीमर पुत्र विज्जू	
	हल्कू ढीमर पुत्र विज्जू	29.05
	कमलेश ढीमर पुत्र छोटेलाल	
	जनकिया ढीमर पुत्र विज्जू	
	परमा ढीमर पुत्र विज्जू	
	हल्कू ढीमर पुत्र विज्जू	91.09
	कमलेश ढीमर पुत्र छोटेलाल	16.77
	परमा ढीमर पुत्र विज्जू	23.46
	घंशू ढीमर पुत्र परमा	
	भागसम	107.08
	परमा ढीमर पुत्र विज्जू	
	कड़ोरा ढीमर पुत्र धरमुआ	32.76
	तुलसी ढीमर पुत्र कड़ोरा	84.24
	धांधू ढीमर पुत्र मुनका	127.14
	जगना ढीमर पुत्र मुनका	90.60
	जनकिया ढीमर पुत्र विज्जू	195.10
	मोनलाल ढीमर पुत्र जनकिया	
	कमलेश ढीमर पुत्र छोटेलाल	92.18
	राजेश ढीमर पुत्र छोटेलाल	
	माते ढीमर पुत्र विज्जू	76.67
	गोविन्दी ढीमर पुत्र माते	50.82
	गोरिलाल ढीमर पुत्र माते	42.68
	मूलचंद ढीमर पुत्र माते	19.29
	प्रेमलाल ढीमर पुत्र माते	76.05
	मुन्ना ढीमर पुत्र टेड़ा	88.95
	धरम ढीमर पुत्र टेड़ा	100.67
	काशीराम ढीमर पुत्र जगना	52.86
	वंशी ढीमर पुत्र कड़ोरा	59.64
	पूरन ढीमर पुत्र सुकईया	175.78
	फेरन लोधी पुत्र फुन्दीलाल	252.04
	श्रीराम लोधी पुत्र फेरन	114.45
	रमेश लोधी पुत्र फुन्दीलाल	460.24
	कुल योग	.20919.88

- (2) बानसुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम-सरकना के भू-अर्जन के लिए भूमि/भवनों/परिसम्पत्तियों की आवश्यकता है।
- (3) भूमि/भवनों/परिसम्पत्तियों के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 2 मई 2016

प्र. क्र. 037-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—जिजगांय, प.ह.नं. 13
(घ) क्षेत्रफल—3.640 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
664	0.320	निजी भूमि
665/1	0.010	निजी भूमि
665/2	0.010	निजी भूमि
666/1	0.070	निजी भूमि
666/2	0.070	निजी भूमि
675/1	0.010	निजी भूमि
675/2/1	0.010	निजी भूमि
673	0.160	निजी भूमि
687	0.220	निजी भूमि
686/1	0.030	निजी भूमि
686/2	0.050	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
685/1	0.040	निजी भूमि
760/2	0.020	निजी भूमि
685/2	0.050	निजी भूमि
760/4	0.020	निजी भूमि
761	0.020	निजी भूमि
685/3	0.040	निजी भूमि
760/3	0.020	निजी भूमि
760/1	0.020	निजी भूमि
760/5	0.020	निजी भूमि
763/2	0.010	निजी भूमि
764/2	0.050	निजी भूमि
762	0.050	निजी भूमि
763/1	0.010	निजी भूमि
764/1	0.050	निजी भूमि
765	0.120	निजी भूमि
770	0.150	निजी भूमि
745/1	0.060	निजी भूमि
745/2	0.060	निजी भूमि
744	0.100	निजी भूमि
743	0.070	निजी भूमि
737	0.260	निजी भूमि
711/1	0.090	निजी भूमि
711/2	0.090	निजी भूमि
738	0.020	निजी भूमि
735	0.200	निजी भूमि
733	0.280	निजी भूमि
717	0.010	निजी भूमि
720	0.050	निजी भूमि
729	0.120	निजी भूमि
730	0.100	निजी भूमि
728	0.020	निजी भूमि
724/2	0.090	निजी भूमि
725	0.060	निजी भूमि
724/1	0.090	निजी भूमि
684/1	0.040	निजी भूमि
719/1	0.090	निजी भूमि
719/2	0.090	निजी भूमि

कुल रकबा निजी भूमि : 3.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिदासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य (छूटे हुये रकबे) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 038-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयवधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—अमानगंज
(ग) ग्राम—सिरी, प.ह.नं. 18
(घ) क्षेत्रफल—0.100 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2722/1क/2	0.060	निजी भूमि
638/1	0.040	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	0.100	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मिदासन व्यपवर्तन तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य (छूटे हुये रकबे) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. A-2590-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 16 से 18 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 जून 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-2592-दो-2-10-2016.—श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 23 से 25 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2594-दो-2-6-2016.—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 23 से 29 जून 2016 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है,

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2596-दो-2-29-2009.—श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 24 से 28 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2598-दो-2-44-2009.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 2 से 10 जून 2016 तक के पूर्व स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 से 13 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2600-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 28 जून से 1 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-2760-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 28 से 29 जून 2016 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. D-2789-दो-2-17-2012.—श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 22 से 23 जून 2016 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एन. व्ही. कौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-2791-दो-2-30-2016.—श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 31 मई से 8 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार मिश्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप कुमार मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-2793-दो-2-44-2009.—श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 2 से 31 मई 2016 तक तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्र. C-2968-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री पी. एस. पाटीदार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 186 दिवस (एक सौ छियासी दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक पत्र क्र. 1734-21-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25-9-2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

1. श्री पी. एस. पाटीदार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर का नियुक्ति दिनांक. 24-10-1985
2. सेवानिवृत्ति दिनांक 30-6-2016
3. नियुक्ति दिनांक 24-10-1985 से 01 वर्ष 04 माह दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि. 15 दिन.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. | 29 वर्ष 03 माह
21 दिन. |
| 5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) | 1×15=15 दिन |
| 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से). | 28=14×15=
210 दिन
01×07=07 दिन |
| 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. | 232 दिन |
| 8. घटाईये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. | 36 दिन |
| 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. | 196 दिन |

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15-6-2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734/21-ब(एक), दिनांक 2-1-2009 के अनुसार दिनांक 1-11-1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 27 जुलाई 2016

क्र. D-2974-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 11 से 14 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-2982-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 21 से 30 जून 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2986-दो-2-46-2015.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-2991-दो-3-44-2013.—श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 18 से 19 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. 741-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016(भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अखिलेश कुमार धाकड़.	शाजापुर	मंदसौर	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, मंदसौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से.
2.	श्री राजेश कुमार देवलिया	इटारसी	रामपुर-नैकिन	सीधी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

क्र. 742-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016(भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री दारासिंह मण्डलोई	उज्जैन	महिदपुर	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2.	श्री सूरज सिंह राठौड़	रायसेन	कुशी	धार	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3.	श्री दिनेश देवड़ा	खरगौन	मनासा	नीमच	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4.	श्री किशोर कुमार गहलोत	नीमच	बड़नगर	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
5.	श्री राधा किशन मालवीया	खण्डवा	झाबुआ	झाबुआ	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	श्री शैलेश भारती भदकारिया	सागर	कोलारस	शिवपुरी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7.	श्री सुधांशु सिन्हा	मंदसौर	उमरिया	उमरिया	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
8.	श्री अजय नील करोठिया	आगर	ब्यावरा	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9.	श्री कपिल नारायण भारद्वाज	लौंडी	कटनी	कटनी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
10.	श्री मोहम्मद अरशद	भिण्ड	रायसेन	रायसेन	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से श्री सूरज सिंह राठौड़ के स्थान पर.
11.	श्री आसिफ अहमद अब्बासी	मुंगावली	चन्देरी	अशोकनगर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 चन्देरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, चन्देरी की हैसियत से.

क्र. 743-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016(भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती वर्षा सिंह भाटी	सागर	गरौठ	मंदसौर	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2.	श्री अजय रामावत	धार	मनासा	नीमच	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
3.	श्री युगल रघुवंशी	सनावद	चौरई	छिन्दवाड़ा	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
4.	श्री पार्थ शंकर मिश्रा	शाजापुर	जतारा	टीकमगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जतारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जतारा की हैसियत से.
5.	कुमारी संध्या मरावी	कुक्षी	सागर	सागर	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, की हैसियत से श्रीमती वर्षा सिंह भाटी के स्थान पर.
6.	श्री लक्ष्मण डोडवे	रीवा	अलीराजपुर	अलीराजपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
7.	श्री राज कुमार चौहान	मऊगंज	बड़नगर	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी	बड़नगर	रीवा	रीवा	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
9.	श्री आशीष ताम्रकार	अलीराजपुर	विजयराघौगढ़	कटनी	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से श्री देवेन्द्र सोलंकी के स्थान पर.
10.	श्री देवेन्द्र सोलंकी	विजयराघौगढ़	राजगढ़	राजगढ़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
11.	श्री राजेश जैन	मुरैना	अम्बाह	मुरैना	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
12.	श्री विजय चौहान	महिदपुर	खाचरौद	उज्जैन	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
13.	श्री साजिद मोहम्मद	मुंगावली	चन्देरी	अशोकनगर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 744-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016(भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (ट्रेनी जज) को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित स्थान एवं स्तम्भ क्रमांक (6) में उल्लेखित नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा	बालाघाट	बैहर	बालाघाट	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी:—

- श्री सूरज सिंह राठौर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, रायसेन.
- श्री शैलेश भारती भदकारियां, षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, सागर.
- श्री सुधांशु सिन्हा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, मंदसौर.
- श्रीमती वर्षा सिंह भाटी, अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सागर.
- श्री युगल रघुवंशी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सनावद, जिला मण्डलेश्वर.
- कुमारी संध्या मरावी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, कुक्षी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, कुक्षी जिला धार.
- श्री लक्ष्मण डोडवें, सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, रीवा.
- श्री राजकुमार चौहान, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मऊगंज, जिला रीवा

9. श्री रूपेन्द्र सिंह मड़ावी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बड़नगर, जिला उज्जैन.
10. श्री आशीष ताम्रकार, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अलीराजपुर.
11. श्री देवेन्द्र सोलंकी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विजयराघवगढ़ जिला कटनी.

का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. 752-गोपनीय-2016-दो-2-10-62(भाग-आठ).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों (प्रवेश स्तर) उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित रिक्त पदों पर जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये 57700—1230—58930—1380—67210—1540—70290/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विजय कुमार पाण्डेय	16-06-2013	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
2.	श्री राजवर्द्धन गुप्ता	09-12-2014	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.
3.	श्री अतुल्य सराफ	09-12-2014	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में उपलब्ध पद पर.

क्र. 753-गोपनीय-2016-दो-2-10-62(भाग-आठ).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक 635-गोपनीय-2015-दो-2-10-62-(भाग-आठ), दिनांक 27 जून 2015 में आंशिक संशोधन करते हुये, जहां तक, उसका संबंध निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में दर्शाये गये जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान) के न्यायिक अधिकारी से है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर, स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये गये पुनरीक्षित दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (5) में उल्लेखित टीम के अनुसार, जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये 57700—1230—58930—1380—67210—1540—70290/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	पूर्व में जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान) में नियुक्ति का दिनांक	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान) स्वीकृत किये जाने का पुनरीक्षित दिनांक	पद के संबंध में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री राजीव कुमार सिंह	06-04-2015	06-04-2015 से 23-11-2015 एवं 01-12-2015 से निरंतर.	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में तत्समय रिक्त पद पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी	06-04-2015	06-04-2015 से 23-11-2015 एवं 01-01-2016 से निरंतर.	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में तत्समय रिक्त पद पर.

टिप्पणी.—जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में दो वरिष्ठ अधिकारियों को चयन ग्रेड प्रदान किये जाने के कारण, संवर्ग में दो पद कमी होने के फलस्वरूप, चयन ग्रेड संवर्ग में दो कनिष्ठतम् न्यायिक अधिकारियों (श्री राजीव कुमार सिंह एवं श्री देवेन्द्र देव द्विवेदी) से क्रमशः रिक्तता की अवधि (24-11-2015 से 30-11-2015) एवं (24 नवम्बर 2015 से 31 दिसम्बर 2015) में चयन ग्रेड वेतनमान का लाभ वापस लिया जा रहा है.

जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्र. 758-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (3)
1.	श्री सुरेश रणदिवे, अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-06, विद्युत अधिनियम, 2003, इंदौर की हैसियत से श्री सत्येन्द्र गोवर्द्धनलाल जोशी के स्थान पर.

क्र. 760-गोपनीय-2016-दो-3-250-57(भाग-34).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3(बी)02-2014-इक्कीस-ब(एक) (अनुपूरक सूची-मेरिट क्रमांक 02), दिनांक 13 जुलाई 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक (1)	नाम (2)	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान (3)	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (4)
1.	श्री निशांत मिश्रा	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खण्डवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्र. 768-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक

दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री राजेश कुमार देवलिया	इटारसी	डबरा	ग्वालियर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 769-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी	शाजापुर	मंदसौर	मंदसौर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 770-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री पार्थ शंकर मिश्रा	शाजापुर	भोपाल	भोपाल	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2.	श्री आशीष डेनियल	कोतमा	जतारा	टीकमगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जतारा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जतारा की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	श्री राजेश जैन	मुरैना	सेवदा	दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी :—

1. आदेश क्रमांक 741/गोपनीय/2016, दिनांक 19 जुलाई 2016, जहां तक इसका संबंध श्री राजेश कुमार देवलिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, इटारसी के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इटारसी, जिला होशंगाबाद का, इटारसी, जिला होशंगाबाद से रामपुर-नैकीन, जिला सीधी स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
2. आदेश क्रमांक 741/गोपनीय/2016, दिनांक 19 जुलाई 2016, जहां तक इसका संबंध श्री अखिलेश कुमार धाकड़, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शाजापुर का, शाजापुर से मंदसौर स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है, श्री धाकड़ अपने वर्तमान पद, अर्थात् प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शाजापुर के पद पर कार्य करते रहेंगे.
3. आदेश क्रमांक 743/गोपनीय/2016, दिनांक 19 जुलाई 2016, जहां तक इसका संबंध श्री पार्थ शंकर मिश्रा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शाजापुर का, शाजापुर से जतारा, जिला टीकमगढ़ स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
4. आदेश क्रमांक 743/गोपनीय/2016, दिनांक 19 जुलाई 2016, जहां तक इसका संबंध श्री राजेश जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मुरैना का, मुरैना से अम्बाह, जिला मुरैना स्थानान्तरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2016

जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016

शुद्धि-पत्र

क्र. A-2474-दो-3-53-2005.—श्री कपिल मेहता, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 20 जुलाई 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

क्र. 746-गोपनीय-2016-दो-3-250-57 (भाग-34).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 605-गोप.-2016-दो-3-250-57 (भाग-34), दिनांक 13 जून 2016 की सारणी के सरल क्रमांक 2 पर उल्लेखित श्री विवेक जैन के नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)" के स्थान पर "प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)" पढ़ा जावे.

जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्र. 755-गोपनीय-2016-दो-2-35-2016.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, सुश्री मेरी मारग्रेट फ्रांसिस, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खरगोन, जिला मण्डलेश्वर का विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन "श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड" पत्नी श्री जान डेविड करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2016

क्र. B-3510-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायिक अधिकारीगण अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में 15 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. B-3510-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Judicial Officers named in the Column No. (3) of the following table shall also hold sitting at places mentioned in the Column No. (2) of the table in addition to his place of sitting for the period of 15 days in a month for holding Link Court :—

ADJ Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held	Name of the Officer and designation
(1)	(2)	(3)
1.	Amarpatan	Shri Satish Chandra Rai, II ADJ, Satna.
2.	Khurai	Shri Kasif Nadeem Khan, IV ADJ, Sagar.
3.	Sendhwa	Shri Sameer Kulshreshtha, II ADJ, Badwani.

No. B-3523-III-10-42-75.—The following Link Courts, directed by the High Court in exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), are hereby cancelled :—

1. Satna—Maihar
2. Shivpuri—Karera
3. Seoni—Lakhnadon

जबलपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्र. डी-2755-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री सुनील कुमार जैन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त बण्डा में प्रत्येक माह में 1 सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना सागर-बण्डा श्रृंखला न्यायालय के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No. D-2755-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Sunil Kumar Jain, Additional District and Sessions Judge, Sagar Shall also hold sitting at Banda in addition to his place of sitting for the period of 1 Week in a month for holding Link Court. This notification is being issued in supesession of earlier notifications issued in respect of Sagar-Banda Link Court.

जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्र. डी-2872-तीन-10-42-75.—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि श्री सतीश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, लौंडी अपने घोषित कार्यस्थल के अतिरिक्त नौगांव में प्रत्येक माह में एक सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No. D-2872-III-10-42-75.—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that Shri Satish Sharma, I, Civil Judge, Class-2, Laundi Shall also hold sitting at Nowgaon in addition to his place of sitting for the period of One Week in a month for holding Link Court.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी. (डी.ई.).